

हज कमेटी ऑफ इंडिया

(हज कमेटी अधिनियम 2002 की संख्या 35 द्वारा गठित वैधानिक संस्था)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

हज 1443 (हि.) 2022 (सी.ई.) अस्थाई निर्देश

(अंतिम निर्देश सऊदी अरबिया सरकार से मंजूरी के बाद जारी की जाएगी)

आवश्यक सूचना : हर हाजी के लिये जरूरी है कि वह प्रस्थान की तारीख से कम से कम एक महीना पहले तक (कोविड-19) कोरोना वायरस के लिए स्वीकृत दोनों खुराक हासिल कर लें। सिर्फ ऐसे ही हज यात्रियों को हज 1443 (हि.) 2022 (सी.ई.) में हज यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाएगी।

प्रस्तावना :

- हज शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम मुस्लमान पर फर्ज है। हज यात्रा जटिल और शारीरिक रूप से कठिनाई भरा है। क्योंकि इस यात्रा में हाजी को एक जगह से दूसरी जगह तक निश्चित समय में पैदल चल कर और यात्रा के उपलब्ध साधनों के माध्यम से पहुँचना होता है। सऊदी नियमों के अनुसार एक हज यात्री को आर्थिक, नैतिक, शारीरिक, व्यावहारिक और मानसिक रूप से चाक व चौबन्द होना जरूरी है।
- हज कमेटी ऑफ इंडिया अधिनियम के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है जिस पर मौजूदा उसूल व जवाबित के तहत सिर्फ हिन्दुस्तान में हज के इन्तेजामात करने की जिम्मेदारी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया आरजी तौर पर हिदायात बराये हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) का इजरा कर रही है और आजमीने कराम के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर मजूजा प्रोफार्मा में मौजूद दरख्वास्त फॉर्म जारी कर रही है जिसका हतमी फैसला ममलकते सऊदी अरबिया के जवाबित के तहत होगा। आरजी हिदायत बराये हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर से हासिल किये जा सकते हैं। आजमीने कराम दरख्वास्त फॉर्म बराये हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर और हज ऐप पर ऑनलाइन पूर (Fill) करके या गूगल प्ले स्टोर में मौजूद हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऐन्ड्राइड मोबाइल ऐप "HAJ COMMITTEE OF INDIA" में ऑनलाइन जमा (submit) कर सकते हैं।
- हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) का इनेकाद कोरोना वायरस की आलमी वबा के चलते खुसूसी वसूलो व जवाबित बशमूल कवायद बराये उम्र, सेहत और तन्दुरूस्ती के अलावा दिगर उसूल व जवाबित की पाबन्दियों के तहत होगा। लेहाजा हज दरख्वास्त के तमाम मराहिल आरजी हैं और ममलकते सऊदी अरबिया के हतमी फैसले पर मुन्हसिर है।

- इस बात का भी कवी इमकान है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के चलते हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) सिरे से ही मन्सूख कर दिया जाये या इजाफी शरायत व जवाबित को शामिल किया जाये जिसका हतमी फैसला अय्यामे हज के करीब आते-आते उस वक्त रूनुमा होने वाले हालात व मामलात के पेशेनजर हुकूमते सऊदी अरबिया करेगी, लेहाजा इस जिम्न में हज कमेटी ऑफ इंडिया को किसी भी तब्दीली चाहे वह मआशी हो, सेहत से मुतालिक हो या हज की मन्सूखी से हो, जिम्मेदार नहीं होगी और उसे मूरूदे इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता।
- मौजूदा हालात में हुकूमते ममलकत सऊदी अरबिया सिर्फ जिस्मानी और दिमागी तौर पर सेहतमन्द जैसे कि अम्राजे कल्ब, साँस की दुश्वारियां, हामिला, ज़ियाबेतिस, बल्ड प्रेशर और दिगर जानलेवा बीमारियों से महफूज अफराद को ही इम साल हज के लिए मदऊ कर सकती है। कोरोना वायरस की आलमी वबा के चलते हुकूमते ममलकत सऊदी अरबिया हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) के हुज्जाजे कराम के लिए मजीद सख्त शरायत व जवाबित का निफाज कर सकती है, लेहाजा इस्तदा है कि सिर्फ ज़ायद अखाजात हज के मुतहामिल सेहतमन्द व निसबतन जवाँ उग्र हजरात ही तयशुदा उसूल व जवाबित के तहत हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) के लिए दरख्वास्त दें।
- हुज्जाजे कराम गैर रस्मी सफीर हैं लेहाजा सफर के तमाम मराहिल में खुश आइन्द अमल और अच्छे बर्ताव से मुल्क का नाम रोशन करें और मुकद्दस सफरे हज के तमाम उमूर को सही तौर पर अन्जाम दें।

1. ऐलान बराये हज

हज का अमल वज़ीर बराये अक्लीयती ऊमूर हुकूमते हिन्द की जानिब से ऐलान बराये हज के साथ ही शुरू होता है इसके फौरन बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया इलेक्ट्रानिक और प्रिन्ट मीडिया के जरिये आजमीने कराम को हज दरख्वास्त फार्म भरने की अव्वल व आखिर तारीख, मतलूबा पासपोर्ट की तफ्सीलात के अलावा मुख्तलिफ उमूर के लिए मुकरर मुख्तलिफ अय्याम और त्वारीख की मालूमात फराहम करती है।

2. हज के इन्तजामात

हिन्दुस्तानी आजमीने हज के इन्तजामात के लिए मुख्तलिफ एजेन्सियों को मुख्तलिफ काम सौंपे गये हैं। वज़ारते अक्लीयती उमूर के मातहत हज कमेटी ऑफ इंडिया हिन्दुस्तान में हज के इन्तेजामात अन्जाम देती है। रियासती हज कमेटीयाँ इस काम में मुआविनत करती हैं। जिद्दा/मदीना एयरपोर्ट पहुँचने पर और ममलकते सऊदी अरबिया में कयाम के दौरान हुज्जाजे कराम की देखभाल और शिकायत के इजाले की जिम्मेदारी वज़ारते उमूर खारजा के मातहत कॉन्सलेट जनरल हिंद, जिद्दा की है। आजमीने हज को उनके सामान के साथ जिद्दा/मदीना एयरपोर्ट पर पहुँचाने की जिम्मेदारी वज़ारते

शहरी हवाबाजी की है। वजारते सेहत व खानदानी फलाह व बेहबूद उमूर हुज्जाजे कराम को जरूरी इन्जेक्शन/टीके अदवीयात और मुतालका तिब्बी इमदाद फराहम करता है।

3. आम मालूमात

हज दरखास्त पूर करने के लिए मुन्दर्जाजेल दस्तावेज़ का मौजूद होना लाजमी है हुज्जाजे कराम से गुजारिश है कि हज दरखास्त पूर करने के लिए मुन्दर्जाजेल दस्तावेज़ अपने पास पहले ही से महफूज कर लें।

- 1. पासपोर्ट :** हज दरखास्त फार्म पूर करने के लिए आजिम हज के पास मशीन से पढ़ा जाने लायक मुस्तनद हिन्दुस्तानी बैनुलएक्वामी पासपोर्ट लाजमी है। लेहाजा हर आजिम को चाहिए कि हज दरखास्त फार्म पूर करने से पहले मशीन से पढ़ा जाने लायक मुस्तनद हिन्दुस्तानी बैनुलएक्वामी पासपोर्ट हासिल कर लें, ताकि ऐन मौका पर दुश्वारी न हो, हज के ऐलान के फौरन बाद वजारते खारजा तमाम इलाकाई पासपोर्ट दफातिर को हुज्जाजे कराम के लिए फौरी तौर पर पासपोर्ट की अशाअत का हुक्म जारी करती है।
- 2. बैंक एकाउंट :** हर कवर हेड का हज दरखास्त फार्म पूर करने के लिए बैंक एकाउंट का होना इन्तेहाई जरूरी है, बेहतर है कि हर दरखास्तगुजार का अपना बैंक एकाउंट मौजूद हो ताकि वापसी की रकम (चाहे किसी बिना पर हो) सीधे इन्हीं के बैंक अकाउंट में जमा की जा सके।
- 3. मोबाइल नंबर :** हुज्जाजे कराम को दी जाने वाली इत्तेलात एस.एम.एस (SMS) और आवाज में रिकार्ड इत्तलाअ (Voice Message) के जरिए दी जाती है। इसलिए हुज्जाजे कराम को मशवरा दिया जाता है कि हज दरखास्त फॉर्म में अपना ज़ाती मोबाइल नम्बर ही दर्ज करे, ताकि वक्त जरूरत इनसे बरायेरास्त राब्ता कायम किया जा सके। हज कमेटी ऑफ इंडिया/मुतालिका रियास्ती हज कमेटी की जानिब से पासपोर्ट की असल, रूकूम की अदाएगी वगैरह से मुतालिक फौरी तौर पर एस.एम.एस मौसूल ना होने की सूरत में आजमीन हज की आखिरी तारीख गुजर जाने के बाद अपनी आरजी तौर पर मंजूर शुदा हज सीट के मुतालिक दावा नहीं कर सकते।
- 4. आधार कार्ड :** हालांकि आधार कार्ड का होना लाजमी नहीं है ताहम हुज्जाजे कराम को चाहिए कि अपना आधार कार्ड बनवा लें और इसकी मतलूबा तफसील हज दरखास्त फॉर्म में मुखतिस कालम में पूर करे।

4. हज दरखास्त का अमल:

हूकूमते ममलकत सऊदी अरबिया ने आज तक हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022(सी.ई.) के लिए किसी भी रहनूमा खुतूत का ऐलान नहीं किया है लिहाज़ा ये रहनूमाई खुतूत आरज़ी है। ताहम कवी

इमकान है कि हूकूमते ममलकत सऊदी अरबिया इमसाल आजमीने हज के लिए अहेलियत बराये हज, सेहत, उम्र, समाजी फासले के जवाबित में इन्तेहाई तब्दीली का ऐलान कर सकती है। ये पाबन्दियां आजमीने हज के लिए सेहत से मुतअलिक प्रोटोकाल, समाजी फास्ले और उम्र की हद से मुतअलिक होंगी। अज़ हद इमकान है कि वज़ारत हज व उम्रा, ममलकत सऊदी अरबिया आजमीने हज के लिए उम्र की हद 65 साल तक मुकरर कर सकती है। लेहाजा ये फैसला लिया गया है कि इमसाल हज के लिए सिर्फ 65 साल तक उम्र के आजमीन हज इस मौके पर हज की दरखास्त दें।

बिना मेहरम की खातीन आजमीने हज : हज 2020 और हज 2021 की बिना मेहरम की हज दरखास्त गुजार खातीन को हज 2022 ईसवी के लिए दरखास्त फार्म देने पर रूपये 300/-फी हाजी वापस न की जाने वाली प्रोसेसिंग फीस की अदायगी से मुस्तशना रखा गया है, ताहम इनके साथ दरखास्त देने वाली नई बिना मेहरम की खातीन आजमीने हज को रूपये 300/-फी हाजी वापस न की जाने वाली प्रोसेसिंग फीस की रकम की अदायगी करनी होगी। फिलहाल उम्र की आरजी बंदिश का इतलाक 45 साल से जाएद और 65 साल तक की बिना मेहरम की खातीन (LWM) के जुमरे पर भी होगा।

4.1 आरजी अहेलियत बराये हज :

हर हाजी के लिये जरूरी है कि वह प्रस्थान की तारीख से कम से कम एक महीना पहले तक (कोविड-19) कोरोना वायरस के लिए स्वीकृत दोनों खुराक हासिल कर लें। सिर्फ ऐसे ही हज यात्रियों को हज 1443 (हि.) 2022 (सी.ई.) में हज यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाएगी। इस सूरत में हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम शहरी हज के लिए दरखास्त दे सकते हैं सावाय मन्दर्जाजेल के :

- i) ऐसे दरखास्त गुजार जिनकी उम्र 10 जुलाई, 2022 को या इससे पहले 65 साल की हो चुकी हो।
- ii) ऐसे अशखास जिनके पास मशीन से पढ़ा जाने लायक (Machine Readable) मुसतनद हिंदुस्तानी बैनुलएक्वामी पासपोर्ट न हो जो 31 जनवरी, 2022 (या दरखास्त की आखरी तारीख) या इससे कब्ल जारी किया गया हो और इसकी मिआद कम अजकम 31 दिसम्बर, 2022 तक हो।
- iii) एक मुसलमान फर्द हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज "जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा" कर सकता है। लेकिन खातूने आजिम हज के साथ बतौर मेहरम रिपीटर हज कर सकता है (अगर कोई शरई मेहरम मौजूद न हो जिसने पहले हज न किया हा)। अगर खातून आजिम अपनी हज सीट मन्सूख करती है तो ऐसी सूरत में इस रिपीटर हाजी की हज सीट भी खुदबखुद मन्सूख हो जाएगी। ऐसी सूरत में इस रिपीटर हाजी को मजूजा खाके में इकरारनामा देना होगा। ताहम अगर ममलकते सऊदी अरबिया ऐसे रिपीटर आजमीन हज को खातून आजिम (पहली मर्तबा) के मेहरम के तौर पर भी सफर करने की इजाजत नहीं देती है तो ऐसी सूरत में ममलकत सऊदी अरबिया के जवाबित का इतलाक हतमी होगा।

- iv) ऐसे अशखास जो मोहलिक कैन्सर, कलबी अमराज, जिगर, गुर्दा, वबाई तपेदिक के मर्ज और मतअदी बीमारी में मुब्तला हों। जायद उम्र और कोरोना वायरस वबाई मर्ज के पेशेनजर ना अहल होंगे।
- v) ऐसी खवातीन जिनके साथ शरई मेहरम न हो, मासिवा चार(4) खवातीन का गुप जिनकी उम्र 45 साल से जायद हो मगर कोई मर्द शरई मेहरम के तौर पर इनके पास मौजूद न हो और इनका मसलक बगैर मेहरम इन्हें हज पर जाने की इजाजत देता हो, इन्ही चार(4) खवातीन के गुप में हज दरखास्त फॉर्म भरने की इजाजत होगी। वाजह हो कि सफरे हज के हर मरहले में खवातीन गुप की तादाद चार(4) से कम नहीं होगी।
- vi) हामला खवातीन और मुर्कररा तारीख तक 65 साल से जायेद उम्र के अशखास को कोरोना वायरस अमराज के पेबेनजरे फिल वक्त हज पर जाने की इजाजत नहीं है।
- vii) ऐसे अशखास जिनके बैरूनी मुल्क सफर करने पर किसी भी अदालत ने रोक लगाई हो।
- viii) ऐसे किसी भी दरखास्तगुजार को हज पर जाने की इजाजत नहीं दी जायेगी जिसने सफरे हज के मुतालिक गलत जानकारी दी हो। ऐसे मामलात में उसे सफरे हज के किसी भी मरहले में नाअहल करार दिया जा सकता है, हत्ताकि मरकजे खानगी पर हवाई जहाज से उतारा जा सकता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ऐसे अशखास की तमाम जमाशुदा रकम जब्त कर लेगी अलावा अर्जी उन पर कानूनी चाराजोई भी की जा सकती है। ये जवाबित ऐसे दरखास्तगुजार पर भी लागू होंगे जिन्होंने इससे कब्ल हज अदा करने की बात न बताई हो। ये जाब्ता हजे बदल करने वालों पर भी लागू होगा।
- ix) मौजूदा हालात के शरायत और पाबंदियों के पेशेनजर गैर मुकीम हिंदुस्तानी शेहरी (N.R.I) फिल वक्त हज दरखास्तगुजार देने के अहल नहीं होंगे।
- X) लाज़मी क्वारन्टाइन (Quarantine) शरायत और पाबन्दियों के पेशेनजर गैर मुकीम हिन्दुस्तानी शहरी (NRI) फिल वक्त हज दरखास्त देने के अहल नहीं होंगे।

4.2 : दरखास्त देने का तरीका :

हज की दरखास्त का अमल मुकम्मल तौर पर डिजिटल कर दिया गया है। हज दरखास्त ऑनलाइन पूर करने के बाबत मुख्तलिफ मौजूआत पर जरूरी हिदायात, रहनुमाई, इशारात वगैरह छोटे-छोटे वीडियो क्लिप्स की शकल में यू ट्यूब पर मौजूद हैं। हुज्जाजे कराम से गुजारिश है कि हज दरखास्त फार्म ऑनलाइन पूर करने से पहले इन्हें जरूर बगैर देखें और बारहा पूँछे जाने वाले सवालात और उनके मुस्तनद जवाबात भी मुन्दर्जाबाला वेबसाइट पर मौजूद है। लेहाजा हाथ से लिखा हुआ/टाइपशुदा दरखास्तें कबूल नहीं की जायेंगी। आजमीन हज को हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेब साइट www.hajcommittee.gov.in पर ऑनलाइन हज दरखास्त फॉर्म भरना है या गूगल प्लेस्टोर पर मौजूद हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऐन्ड्रॉइड मोबाइल ऐप्लीकेशन "HAJ COMMITTEE OF INDIA" के जरिये हज दरखास्त फॉर्म भरना है हुज्जाजे कराम मर्दजाजेल दस्तावेजाज को मुंसलिक कर के अपलोड करें।

- i) वापस न की जाने वाली रूपये: 300 की रकम बतौर प्रोसेसिंग फीस हरएक फर्द के लिए (सिर्फ ऑनलाइन)।
 - ii) हज दरख्वास्त फॉर्म (HAF) ऑनलाइन भरकर जमा करें।
 - iii) मशीन से पढ़ा जाने लायक (Machine Readable) मुश्तनद हिन्दुस्तानी बैनुलवक्वामी पासपोर्ट का पहला व आखरी सफा।
 - iv) मौजूदा पासपोर्ट साइज की तसवीर।
 - v) कवर हेड के कैंसल चेक की कॉपी।
 - vi) अपने रिहार्डश पते की सबूत की कॉपी, अगर मौजूदा रिहार्डशी पता पासपोर्ट में मौजूद है तो पासपोर्ट की कॉपी काफी होगी दीगर मामलात में मुन्दर्जाजेल में से किसी की भी खुद की तश्दीक शुदा कॉपी, मुनासिब तरीके से भरी हुई हज दरख्वास्त फॉर्म (HAF) की डाउनलोड शुदा कापी के साथ मुन्सलिक करने होंगे।
1. आधार कार्ड 2. बैंक पासबुक 3. इलेक्शन कमीशन फोटो आई.डी कार्ड 4. या मुन्दर्जाजेल में से कोई भी पिछले तीन महीनों का यूटीलिटी बिल।
- i) बिजली का बिल पपद्ध टेलीफोन बिल (लैन्ड लाइन) iii) पानी का बिल या गैस कनेक्शन बिल

4.3 आखरी तारीख :

हज दरख्वास्त फॉर्म (HAF) ऑनलाईन भरने की आखरी तारीख 31 जनवरी, 2022.

5. रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटी का तरीकाकार :

5.1 दरख्वास्त फॉर्म की मुतालिका रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटी के जरिये जाँच :

- i) रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटी तमाम मोसूल शुदा ऑनलाइन हज दरख्वास्तों की मलफूजात के साथ ऑनलाइन जाँच करेंगी जैसाकि ऊपर दर्ज पैरा नम्बर 4.2 में दिया गया है। तश्दीक के बाद रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटी एक मुन्फरिद नम्बर, कवर नम्बर (Cover Number) हासिल (Generate) करेगी। हर रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटी मतलूबा जरूरी दस्तावेजात आजिमे हज के जरिये अपलोड न होने की सूत में दरख्वास्तगुजार से फोन पर राब्ता करके दस्तावेजात की हार्ड कॉपी IHPMS सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगी।
- ii) कुर्रा/इन्तेखाब के बाद रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटी को मुन्तखब शुदा आजमीने कराम से हज दरख्वास्त फॉर्म की डाउनलोडेड कॉपी मादस्तखत, पासपोर्ट, सेहत और

फिटनेट कार्ड, हज की रकम की पहली किस्त की अदायगी की रसीद और दिगर दस्तावेजात की हार्ड कॉपी हासिल करेगी और तस्दीक के बाद वसूसी रसीद (Acknowledgement) कवर हेड को जारी करेगी। दरखास्तों की तस्दीक रियासती/यूनियन टेरीट्री के ऐक्विजीक्यूटिव ऑफिसर या इनके जरिये मुकर्रकर्दा किसी भी शख्स को करनी होंगी और साथ ही दरखास्तगुजार के रिहाईश के सबूत की जाँच करके, दस्तखत करके तौसीक करनी होगी कि वह आजिम इस रियासत के कोटे से हज करने का अहेल है।

- iii) मेहरम के बगैर ख्वातीन के अलावा हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) के लिए तमाम दरखास्तें जनरल ज़मरा के तहत दर्ज होंगे। कुरा अन्दाजी में आरजी तौर पर जो आजमीन मुन्तखब हों इनके लिए लाज़मी है कि वह अपने असल पासपोर्ट जिसकी पुस्त पर एक अदद तस्वीर चिपकने वाली टेप से चिपकाई गई हो, अपने मुतालका रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटी में कुरा-अन्दाजी से एक हफ्ते के अन्दर या इससे कब्ल जमा करायें। मुताइना मिआद तक पासपोर्ट जमा न करने की सूत में आरजी तौर पर मुन्तखब दरखास्तगुजारों को बगैर किसी मजीद इत्तेला के रद्द कर दिया जायेगा।

5.2 कवर

रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटी के जरिये हज दरखास्त की तौसीक के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया च्छे सॉफ्टवेयर के जरिये एक कम्प्यूटर से एक मुन्फरिद नम्बर- कवर नम्बर हासिल करती है, रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटियां हर कवर हेड को कवर नम्बर की इत्तेला करती है। आइन्दा तमाम खत व कितावत के लिए कवर नम्बर का इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। आजमीने कराम के लिए लाज़िम है कि अपनी मुतालका रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटी से अपना कवर नम्बर हासिल करें, क्योंकि कोई भी हज की दरखास्त बगैर कवर नम्बर के कुरा के लिए काबिले कबूल नहीं होगी।

- i) कवर से मुराद एक गुप में एक साथ दरखास्त देने वाले अफराद हैं। एक कवर में सिर्फ एक ही खानदान के नजदीकी रिश्तेदार ही दरखास्त दें।
- ii) कवर का सरबराह एक बालिग मर्द ही हो सकता है, जोकि कवर में मौजूद तमाम दरखास्तगुजारों की रकूम की अदायगी का जिम्मेदार होगा।
- iii) एक कवर के तमाम दरखास्तगुजारों का रिहाईशी दर्जा एकसाँ होगा, एक कवर के तमाम दरखास्तगुजार एक साथ सफर करेंगे, किसी भी सूत में एक कवर के आजमीन को अलग नहीं किया जायेगा।
- iv) कवर हेड की जानिब से सफरे हज मन्सूख करने पर लाज़िम है कि वह इसी कवर के दूसरे मर्द आजिम हज को नये कवर हेड के तौर पर मुताय्यन करे।
- v) मर्द मेम्बर के जरिये खातून दरखास्त देहन्दगान के मेहरम को तबदील करने की इजाजत है जो कवर का हिस्सा नहीं है, कवर के अलावा किसी दूसरे मर्द दरखास्तगुजार को मेहरम

बनाने की इजाजत सिर्फ नागुजीर वजूहात मसलन मौत या तिब्बी वजूहात वगैरह की बुनियाद पर दी जायेगी।

- vi) कवर का साइज कम से कम एक (1) दरखास्त और ज्यादा से ज्यादा पाँच (5) बालिग + दो (2) अतफाल की दरखास्तों पर ही मुशतमिल होना चाहिए। (अगर खानदान के अफराद की तादाद पाँच (5) से ज्यादा हो तो दरखास्तें एक से ज्यादा कवर में दर्ज की जायेंगी)

नोट : i) अतफाल ऐसे दरखास्त गुजार जो 15 अगस्त 2022 तक या आखिरी परवाज की वापसी तक उन दोनों में जो भी जल्द हो दो बरस मुकम्मल कर चुकें होंगे। मुताअय्यना अखराजात के मुताबिक अतफाल से हज की रूकूम वसूल की जाएगी।

- ii) अतफाल के अलावह दिगर तमाम दरखास्त गुजार बालिगों के जुमरे में शुमार किये जाएँगे और उनसे हवाई जहाज का पूरा किराया लिया जाएगा। असी मुनासिबत से उन्हें हज की रकम की अदायगी करनी होगी।

- vii) दरखास्तगुजार को चाहिए कि नामजद शख्स की तफसील, जिससे मुश्किल हालात में, हिन्दुस्तान या सऊदी अरबिया में राबता किया जा सके, दरखास्त फॉर्म में मुताइयन जगह पर सही तौर से इन्द्राज करें। नामजद शख्स दरखास्तगुजार का करीबी रिश्तेदार हो, क्योंकि आजिम की इन्तेकाल की सूरत में नामजद शख्स ही इसके किसी रिफण्ड/रकम के लेने का हकदार होगा।

- viii) दरखास्तगुजार को हज दरखास्त में रिहाईशी पते की सही निशानदेही करना चाहिए। दूसरी रियासत में मुकीम दरखास्तगुजार को अपना मुशतकिल पता (पैदाईश) की जगह वगैरह और (आधार कार्ड/पासपोर्ट वगैरह में दस्तयाब पता) वाजे करें।

- ix) हज के दरखास्तगुजारों को चाहिए कि वह अपना जाती मोबाइल नम्बर दरखास्त फॉर्म में दर्ज करें न कि किसी दूसरे शख्स का खुशूसन किसी एजेन्ट का, जिसपर हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से उनके भेजे गये एस.एम.एस (SMS) मोसूल हो सके। इसके अलावा वाइस काल्स और पैगामात सिर्फ वक्तन फवक्तन रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर ही भेजे जायेंगे। ये मोबाइल नम्बर एस.एम.एस और एलर्ट मोसूल करने का मिजाज हों और ये मोबाइल नम्बर (Do Not Disturb) की रजिस्ट्री में दर्ज न हों।

- X) हज फॉर्म में रकूम की वापसी (Refund) में सहूलत के मद्देनजर कवर हेड के बैंक एकाउंट की तफसील जो ऐसे बैंक में हो जिसमें प्लैब कोड मौजूद हो, हज के दरखास्त फॉर्म में दर्ज हों। क्योंकि किसी किस्म की रकम की वापसी RTGS/NEFT के जरिये ही की जायेगी। इन तफसीलात के सबूत में दरखास्तगुजार को बैंक के खाली कैंसल शुदा चेक या बैंक पासबुक के पहले सफे की फोटोकापी मुन्सलिक करना जरूरी है।

नोट : गलत जानकारी देने पर हज दरखास्त को मन्सूख कर दिया जायेगा अलावा अर्जी जमा शुदा रकम भी जब्त कर ली जायेगी।

6. कोटा, कुरा और इन्तेखाब

6.1 कोटा

हुकूमते हिन्द और ममलकते सऊदी अरबिया के माबैन होने वाले करारनामे के मुताबिक हुकूमते हिन्द हज कमेटी ऑफ इंडिया का कोटा तय करती है। हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुख्तस कोटा को तमाम रियासतों और यूनियन टेराट्रीज के मुस्लिम आबादी के तनासुब से तकसीम किया जायेगा।

6.2 कुरा

कुरे से मुराद कम्प्यूटराइज्ड कुरा-अन्दाजी है। ऐसी रियासतें/यूनियन टेरीट्री हज कमेटियों में जहाँ कोटे से ज्यादा दरखास्तें मोसूल हों, आजमीने कराम को आरजी तौर पर मुन्तखब करने के लिए कवर नम्बर की कुरा-अन्दाजी, मुतालिक हज कमेटियों के जरिये होंगी। यह कुरा-अन्दाजी हज कमेटी ऑफ इंडिया के सरवर (Server) पर IHPMS सॉफ्टवेयर पर होगी। कुरा-अन्दाजी की तारीख और दिगर तफसीलात मुतालका रियासती हज कमेटियों की जानिब से वसी पैमाने पर इलेक्ट्रानिक और प्रिन्ट मीडिया के जरिये मुश्तहिर की जायेगी। कुरा-अन्दाजी के फौरन बाद मुन्तखब शुदा आजमीन की लिस्ट भी इलेक्ट्रानिक और प्रिन्ट मीडिया के जरिये वसी पैमाने पर मुश्तहिर की जायेगी, साथ ही आरजी तौर पर मुन्तखब शुदा आजमीने कराम को उनके इन्तेखाब की जानकारी दी जायेगी। हुज्जाजे कराम को दी जाने वाली इत्तेलात एस.एम.एस (SMS) और आवाज में रिकार्ड इत्तलाअ (Voice Message) के जरिए दी जाती है। इसलिए हुज्जाजे कराम को मशवरा दिया जाता है कि हज दरखास्त फॉर्म में अपना ज्ञाती मोबाइल नम्बर ही दर्ज करे, ताकि वक्त जरूरत इनसे बरायेरास्त राब्ता कायम किया जा सके। हज कमेटी ऑफ इंडिया/मुतालिका रियासती हज कमेटी की जानिब से पासपोर्ट की असल, रूकूम की अदाएगी वगैरह से मुतालिक फौरी तौर पर एस.एम.एस मौसूल ना होने की सूरत में आजमीन हज की आखिरी तारीख गुजर जाने के बाद अपनी आरजी तौर पर मंजूर शुदा हज सीट के मुतालिक दावा नहीं कर सकते।

7. वेटिंग लिस्ट से आजमीने हज का इन्तेखाब

- i) आजमीने के जरिये इन्तखब मन्सूख कराने या किसी और वजह से हज सीटों की दस्तयाबी की सूरत में मुतालका रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटियों की वेटिंग लिस्ट के दरखास्तगुजारों में से बिल्कुल तरतीबवार आरजी तौर पर इन्तेखाब करेगी। वेटिंग लिस्ट के इन्तेखाब में किसी किस्म की बेतरतीबी कतअन नहीं की जायेगी।
- ii) आरजी इन्तेखाब सिर्फ मुकम्मल कवर नम्बर का किया जायेगा और किसी भी सूरत में कवर नम्बर को तोड़ा नहीं जायेगा।
- iii) हज कमेटी ऑफ इंडिया तमाम रद्द की हुई सीटों के एवज में मुन्तखब शुदा आजमीन की तफसील रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटियों को बतायेगी जो कि मुन्तखब शुदा दरखास्तगुजारों को तफसील मुहैया करेगी।
- iv) हिंदुस्तान से खाना होने वाली आखिरी परवाज से दस रोज कब्ल आखिरी बार वेटिंग लिस्ट में से हुज्जाजे कराम का इन्तेखाब किया जायेगा जिसकी रू से शुरूआती तमाम वेटिंग लिस्ट

मुस्तरद हो जायेगी। हज के तमाम अखराजात की मुकम्मल रकम अदा करने वाले वेटिंग लिस्ट में मौजूद दरखास्त को ही मन्जूर किया जायेगा। तमाम अखराजात की मुकम्मल रकम अदा न करने वाले वेटिंग लिस्ट में मौजूद दरखास्तों पर गौर नहीं किया जायेगा। मुकम्मल तौर से पूर ऑनलाइन हज दरखास्त के साथ मुन्दर्जाबाला दस्तावेजात की खुद तश्दीक शुदा कापियां मुन्सलिक करें।

इन्तेबाह

ऐसे तमाम दरखास्तों को किसी भी मौके पर रद्द किया जा सकता है। जिन्होंने गलत पता दिया हो या एक से जायद मर्तबा एक ही या उससे जायद रियासतों/यूनियन टेरीट्री में हज के लिए दरखास्त दी हो और ऐसे दरखास्त गुजार जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब इससे कब्ल हज कर चुके हों और छुपाया ना हो या इसकी गलत मालूमात दी हो, ऐसे किसी भी दरखास्त गुजार को हज पर जाने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी और ऐसे किसी भी दरखास्तगुजार को हज पर जाने की इजाजत कतई नहीं दी जायेगी और मरकजे रवानगी पर आखिरी वक्त में हवाई जहाज़ तक से उतार लिया जायेगा, ऐसे दरखास्तगुजार की जानिब से जमा की हुई रकम भी जब्त कर ली जायेगी। इस से इलावह ऐसे दरखास्तगुजार खिलाफ कानूनी कारवाई भी की जायेगी।

8. दस्तावेजात और रकम की अदायगी :

आरज़ी तौर पर मुन्तखब हज दरखास्तगुजार मुन्दर्जाजेल असल दस्तावेजात रजिस्टर्ड पोस्ट/कूरियर के जरिये या जाती तौर पर उनकी सहूलत के मुताबिक रियासती/यूनियन टेरीट्री को पेश करें।

- i) तमाम मलफूजात के साथ हज दरखास्त की डाउनलोड शुदा कापी जिस पर अपने दस्तखत/अंगूठे का निशान लगा हो।
- ii) हेल्थ और फिटनेस सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टीशनर से खुद जाँच करवायें और सर्टिफिकेट हासिल करें। सर्टिफिकेट का खाका जल्द ही ऑनलाइन दस्तयाब कराया जायेगा।
- iii) असल पासपोर्ट
- iv) असल रसीद/पेशगी हज रकम की अदायगी का सबूत

9. लागत, अदायगी और कम्पर्मेशन :

हज कमेटी ऑफ इंडिया असली लागत की बुनियाद पर हज का इन्तेजाम करती है, यानी हवाई जहाज़ का किराया एयरलाइन्स को, रिहाईश और लाजमी अखराजात ममलकत सऊदी अरबिया को जिसमें मोअल्लिम फीस, ट्रान्सपोर्टेशन चार्ज, वीजा फीस और दिगर अखराजात शामिल हैं अदा किये जाते हैं। हर साल हज की तकमील और काउन्ट्स को हतमी शकल देने के बाद आजमीन को बकिया रकम कवर हेड के बैंक एकाउंट में वापस कर दी जाती है। सऊदी वजारते हज व उम्रा ने मतला किया है कि हज 2022 के अखराजात गुजिश्ता वर्षों के मुकाबले दो गुना होंगे। हज 2019 में होने

हज 1443 (हि.) 2022 (सी.ई.) के लिए दिशानिर्देश

वाले अखाजात की तफसीलात हज कमेटी की वेबसाइट पर दस्तयाब है (सर्व्युलर नम्बर-20 में), हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) के लिए मुमकिना अखाजात मुन्दर्जाज़ेल है।

कुल अखाजात बराये हज

नंबर शुमार	हज का साल	अखाजात की हद	रिमाक
1.	2019	2,36,000/-से 3,22,000/-	असल अखाजात
2.	2020	2,50,000/-से 3,50,000/-	मुमकिना अखाजात (हज 2020 की मन्सूखी की वजह से रकम मालूम नहीं)
3.	2021	3,30,000/-से 4,00,000/-	मुमकिना अखाजात (हज 2021 की मन्सूखी की वजह से रकम मालूम नहीं)
4.	2022	3,35,000/-से 4,07,000/-	<p>कोन्सलेट जनरल ऑफ इंडिया/जिद्दा बराए हिंद की जानिब से मोसूल हज 2022 प्रोटोकाल की मुनासिबत से होने वाले मुमकिना अखाजात इस तरह है</p> <p>i) सऊदी हुकूमत ने अशया और खिदमात पर वैट(VAT) बढ़ाकर 15/फीसद (पहले 5/फीसद) कर दिया है।</p> <p>ii) नई हज वीजा फीस /300/- सऊदी रियाल फी हाजी जो पहले वसूल नहीं की जाती थी।</p> <p>iii) 100/-सऊदी रियाल सेहत के बीमा के तौर पर इजाफी खर्च।</p> <p>iv) मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रिहाईश का किराया वैट(VAT) में इजाफे और जगह/हाजियों के जरूरियात और दिगर इजाफी जरूरियात में मुमकिना इजाफे के वजह से बढ़ने का इमकान है।</p> <p>v) वैट(VAT) में इजाफे और कोविड-19 की वजह से इजाफी उसूलों की मुमकिना जरूरत के वजह से नकल व हमल की लागत में इजाफे का इमकान है।</p> <p>vi) कोविड-19 के पेशे नजर लाजिमी खिदमात और नये उसूलों के मुमकिना तारुफ की वजह से मशायर में खिदमात की लागत में नुमायाँ इजाफा मुतवक्के है जो कि हज 2019 में सऊदी रियाल 1050/- से बढ़का अब सऊदी रियाल 2500/- तक।</p>

ताहम ये एक आरजी तखमीना है। म्मलकत सऊदी अरबिया के जरिये आयद किये जाने वाले रेहनेमा खुतूत व कवायद बराए हज 2022 के बाद ही हज 2022 में होने वाले कुल खर्च का पता चलेगा।

9.1 बैंक रिफरेन्स नम्बर

तमाम आरजी तौर पर मुन्तखिब शुदा आजमीने कराम को एक बैंक रिफरेन्स नम्बर दिया जायेगा, ये नम्बर रियासती हज कमेटियां आरजी तौर पर मुन्तखिब शुदा आजमीन को आरजी इन्तेखाबी खत में दर्ज करके

अरसाल करेगी। पेशगी और बकिया हज की रकम की अदायगी के लिए से बैंक रिफरेन्स नम्बर पे-इन-स्लिप में मौजूद कालम में जरूर दर्ज करें।

9.2 हज की पेशगी रकम

हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) के आरज़ी तौर पर चुने गए आजमीने कराम के लिये 81,000/- (इक्कियासी हज़ार रूपये) (पेशगी हज की रकम 80,000/-, 1000 रूपय दीगर अख़राजात) पेशगी रकम मुकर्र की गई है।

9.3 रकूम की अदायगी

- i) रकूम की अदायगी मुकर्र अवकात में हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारीकर्दा हिदायत के मुताबिक अदायगी हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ऑनलाइन जमा की जा सकती है, हज कमेटी ऑफ इंडिया/रियासती/यूनियन टेरिट्री हज कमेटियां सीधे सीधे किसी भी बैंक ड्राफ्ट/चेक या नकद रकूमात कबूल नहीं करेगी। अदायगी का अमल ऑनलाइन और असल वक्त की बुनियाद पर मबनी होगा, रकम की अदायगी के बाद आजिम हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर स्टेटस चेक कर सकते हैं और कवर हेड के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर भी एक एस.एम.एस. भेजा जायेगा। अगर ये सिस्टम में जाहिर नहीं होता है या आजिम को मैसेज (Message) नहीं मिलता है तो हाजी इन्फार्मेशन सेन्टर (24 ग 7) या टेलीफोन नंबर 022-22107070 से या मुताअल्लिका बैंक ब्रांच से फौरी राब्ता करें जहाँ रकम की अदायगी की गई हो ।
- ii) आजमीन को गलत एकाउंट में अदायगी से बचने के लिए पे-इन-स्लिप पर कवर नंबर एहतेयातन (Carefully) लिखना चाहिए ताकि कवर नंबर या बैंक खाते में रकम जमा ना हो सके।
- iii) हुज्जाज को मशवरा दिया जाता है कि ऑनलाइन अदायगी, एकाउंट टू एकाउंट ट्रान्सफर, बैंक टू बैंक ट्रान्सफर, रकम जमा करने और दुसरे ऑनलाइन तरीकों का ही इस्तेमाल करें।

9.4 हज की बकिया रकम

हज कमेटी ऑफ इंडिया हर हाजी को मरकज़े खानगी पर सऊदी रियाल 2100/- तकसीम करेगी। सऊदी रियाल 2100/- के एक्सचेंज रेट को तय करने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया टेंडर निकालती है। उसी बनियाद पर ममलकते सऊदी अरबिया और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ एजेन्सियों के जरिये तमाम टेन्डरों को हतमी शकल देने के बाद हज 2022 की बाकी रकम को एक अलग सक्र्युलर के जरिये मुत्तला किया जायेगा।

9.5 कुर्बानी (Adahi):

सऊदी हुकूमत से मन्जूर शुदा इस्लामिक डेवलपमेन्ट बैंक (IDB) के जरिये हज कमेटी ऑफ इंडिया उन आजमीने केराम के लिए कुर्बानी (Adahi) का इन्तेजाम करेगी जिन्होंने हज दरख्वास्त में इसका इजहार किया हो और ऐसे आजमीन से सऊदी रियाल 500/- (लगभग रूपये: 10,000/-) की अदायगी की हो। कुर्बानी (Adahi) कूपन हिन्दुस्तानी हज मिशन के जरिये हज से पहले फराहम किये जाते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिये कुर्बानी अदा करने का इजहार हज दरख्वास्त फार्म में मुख्तस कालम में दर्ज करें। हर साल बेइमान अनासिर के जरिये सस्ते कूपन फराहम करने के नाम पर धोका देही मुतअदिद वाक्यात सामने आते हैं जिसके पेशेनजर हरसाल आजमीन हज को हज कमेटी या सऊदी हुकूमत से मन्जूर शुदा एजेन्सी के जरिये कुर्बानी अदा करने का मशवरा दिया जाता है। कुर्बानी के अन्जाम देने की हैसियत और वक्त की तस्दीक प्कट की वेबसाइट से की जा सकती है।

9.6 रकम की अदायगी हज सीट कन्फर्म होने की जामिन नहीं है।

अगर कोई दरख्वास्तगुजार गलत मालूमात/गलत बयानी/झूठे दस्तावेजात की बिना पर आरजी तौर पर मुन्तखब/कन्फर्म होता है तो उसका सफरे हज किसी भी मरहले में मन्सूख किया जा सकता है। जिहाजा हज अखराजात की रकम की मुकम्मल अदायगी हज पर जाने की जमानत नहीं है।

10. मन्सूखी (Cancellation)

- i) अगर कोई मुन्तखब शुदा दरख्वास्तगुजार किसी भी वजह से अपनासफरे हज मन्सूख/रद्द करना चाहता है तो उसे चाहिए कि मशरूअ फार्मेंट में अपने मन्सूखी के वजह की तफसील दर्ज करके अपनी मतालका रियासती हज कमेटी में जमा कराये।
- ii) रियासती हज कमेटी की तोसत से मन्सूखी की इत्तला मिलते ही हज कमेटी ऑफ इंडिया मन्सूखी का फैसला लेगी। और मन्सूखी को IHPMS के सॉफ्टवेयर में निशानजद किया जायेगा।
- iii) मन्सूखी हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के जरिये भी ऑनलाइन की जा सकती है।
- iv) मन्सूखी के बाद किसी भी बुनियाद पर उसका दुबारा मन्जूर नहीं किया जायेगा।
- v) अगर कोई मुन्तखब शुदा दरख्वास्तगुजार पासपोर्ट या रकम दोनों मुतय्यना तारीखों तक जमा करने में नाकाम रहेगा तो उसका इन्तेखाब सरसरी तौर पर मन्सूख कर दिया जायेगा।
- vi) दरख्वास्त की मन्सूखी की सूरत में ररूम की वापसी हिदायत के पैराग्राफ-11 के तहत कार्यरित की जायेगी।

11. रकूम की वापसी

हज दरख्वास्त मन्सूख कराने पर उस दिन से दो माह के अन्दर जमा शुदा रकम की वापसी की जायेगी, दरख्वास्तें मुकररा खाके में मोसूल होनी चाहिए ताहम दिगर अखराजात के तौर ली गई रूपये

हज 1443 (हि.) 2022 (सी.ई.) के लिए दिशानिर्देश

एक हज़ार (1,000/-) की रकम किसी भी मरहले में वापस नहीं की जायेगी इसके अलावा हज सीट की मन्सूखी पर आज़िम हज की वापसी की रकम में से दर्जजेल रकम की कटौती होगी।

नम्बर	तफसीलात	कटौती फी आज़िमे हज
1.	20 फरवरी, 2022 तक	रूपये: 1,000/-
2.	21 फरवरी, 2022 से 20 अप्रैल, 2022 तक	रूपये 5,000/-
3.	21 अप्रैल, 2022 से मुकर्ररा परवाज़ की तारीख तक	रूपये 10,000/-
4.	गैर हाज़िर (Non-Reporter)/गायब हो जाने पर/हवाई जहाज़ में सीट कन्फर्म करने के बाद/सफरी कागजात हासिल करने के बाद।	रूपये 25,000/-या एकतरफा हवाई जहाज़ का किराया जो भी ज्यादा हो।

1. ताहम जवाबित का एतलाक ऐसे आज़िम पर नहीं होगा जिसके सफर की मन्सूखी इन्तेकाल या किसी तशवीशनाक बीमारी/एक्सिडेन्ट की वजह से आज़िम हज सफरे हज के नाकाबिल करार पाये, इस सिलसिले में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से तसदीकनामा दरकार होगा, ऐसी सूरते हाल में रूपये: 1,000/- फी हाजी काट लिये जायेंगे।
2. हाजी को कोरोना वायरस (Covid-19, Pandemic) प्रोटोकाल की बुनियाद पर सफर करने की इजाजत न होने की सूरत में भी कटौती नहीं की जायेगी।
3. चूँकि चार्टर्ड फ्लाइट की टिकटें नाकाबिले मुन्तकिल होती हैं इसलिए वापसी सफर के टिकट को किसी भी वजूहात की बिना पर इस्तेमाल में न लाने की सूरत में वापसी के सफर का किराया आज़िमे हज को लौटाया नहीं जा सकता। बजूज आज़िमे हज के सऊदी अरबिया में इन्तेकाल की सूरत में, जो कि मरहूम हाजी के नामजद (Nominee) को लौटाया जायेगा।
4. गैर हाज़िर (Non-Reporter) वह आज़िम हैं जिसे परवाज़ की तारीख दी गई हो मगर इसने मुतालका मरकजी खानगी पर रिपोर्ट न किया हो। मुताय्यना परवाज़ के खाना होने के बाद किसी आज़िम की जानिब से सफरे हज को मन्सूख करने की दरख्वास्त मोसूल होने पर भी वह आज़िम गैर हाज़िर (Non-Reporter) माना जायेगा।
5. सफरे हज की मन्सूखी की दरख्वास्त क साथ जमा की गई रकम की पे-इन-स्लिप, मेडिकल, मौत की सनद की कापियां मुन्सलिक करें।
6. अगर रकम ऑनलाइन जमा कराई गई हो तो रकम की वापसी भी इसी तरह होगी।
7. मरहूम आज़िम हज के अलावा तमाम रकम की वापसी हज दरख्वास्त में मौजूद कवर हेड के एकाउंट में ही की जाती है। फौत शुदा हाजी के नामजद को उसके एकाउंट में फौत शुदा आज़िम की वापसी का मुआवजा दिया गया है।
8. मुतालिका रियासती/यूनियन टेरिट्री हज कमेटी में दीगर मतलूबा दस्तावेज़ात और रूपये 81,000/- की पे-इन-स्लिपे जमा करने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया आज़मीन-ए-कराम के आरजी इन्तेखाब की तस्दीक करेगी लेकिन हज-2022 के सिलसिले में ममलकत-ए-सऊदी अरबिया का फ़ैसला हतमी होगा।

12. मरकजे खानगी (Embarkation Points)

12.1 मरकजे खानगी में तखफ़ीफ

कोरोना वायरस के पेशेनजर इम्बार्केशन प्वाइन्ट्स मौजूदा तादाद (10) की गई है। ये दस इम्बार्केशन प्वाइन्ट्स हैं 1. कोचीन 2. नई दिल्ली 3. गुवाहाटी 4. लखनऊ 5. श्रीनगर 6. अहमदाबाद 7. बैंगलूरू 8. हैदराबाद 9. कोलकाता 10. मुम्बई।

12.2 मुताअय्यना मराकजे खानगी का इंतखाब

तमाम आजमीने किराम के मराकजे खानगी का फैसला उनके मौजूदा रिहाईशी पते (जो कि हज दरख्वास्त फार्म में दर्ज हैं, न कि पासपोर्ट में) के मुताबिक किया जाता है। हज 2022 में हुज्जाजे किराम से हवाई जहाज का पूरा किराया लिया जाएगा जो नागरिक उ यन मंत्रालय टेन्डर के जरिये तय करेगी। ताहम हुज्जाजे किराम को इख्तियारी करीबी इम्बार्केशन प्वाइन्ट चुनने की इजाजत होगी। हवाई सफर का असल किराया (एयरपोर्ट चार्ज और सर्विस टैक्स मिला कर) ख्राके में दिये हुए मुताअल्लिका इम्बार्केशन प्वाइन्ट के लिये अलग होगा वाजेह रहे के हज 2022 में हवाई जहाज के किराये की रकम में तब्दीली मुतवक्के है जो के टेन्डर के जरिये सामने आएगी। आजमीने कराम को अपने हालिया पते की मुनासिबत से बनने वाले नीचे दिये गए इम्बार्केशन प्वाइन्ट से ही सफरे हज के लिए खाना किया जाएगा। सफरे हज से वापसी भी इसी इम्बार्केशन प्वाइन्ट पर होगी जहाँ से सफर शुरू किया था इम्बार्केशन प्वाइन्ट में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। बहरेहाल किसी नागहानी सूरत में हाजी को किसी दूसरे इम्बार्केशन प्वाइन्ट से भेजने के जुमला हुक्क हज कमेटी ऑफ इंडिया महफूज़ रखती है। पूरे कवर का इम्बार्केशन प्वाइन्ट एक ही होगा, हुज्जाजे कराम नीचे दिए गए ख्राके में दर्ज तीसरे और चौथे कॉलम में से एक इम्बार्केशन प्वाइन्ट का इन्तेखाब अपने रिहाईशी सूबे/जिले के एतबार से कर सकते हैं और इसी एतबार से हवाई जहाज के किराये की रकम अदा करनी होगी।

मौजूदा आलमी वबा कोरोना वायरस के पेपेनजर रिहाईशी सूबे/जिले के एतबार से नजदीकी फासले की बुनियाद पर तषकील दिये गए नए इम्बार्केशन प्वाइन्ट्स मुंदर्जाजेल हैं।

नंबर शुमार	सूबा/यूनियन टेरीट्री/जिला के रहने वाले	मराकजे खानगी (बुनयादी)	मराकजे खानगी (इख्तियारी)
1.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद
2.	रियासते कर्नाटक के तमाम अजला और आन्ध्रा प्रदेश का चित्तूर जिला	बैंगलूरु	बैंगलूरु
3.	केरला, लक्षद्वीप और माहे (पुडुचेरी), तमिलनाडु, पुडुचेरी, जजायर अन्डमान व निकोबार	कोचीन	कोचीन
4.	दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चन्डीगढ़, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश (मगरबी अजला यानी आगरा, अलीगढ़, बागपत, भीमनगर (संभल), बिजनौर, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ज्योतिबा फुले नगर, महामाया नगर (हाथरस), मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, पंचशील नगर, (हापुड़), प्रबुद्ध नगर (कैराना, शामली), रामपुर, सहारनपुर और राजस्थान	नई दिल्ली	नई दिल्ली
5.	आसाम, मेघालय, मनीपुर, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम	गुवाहाटी	कोलकाता
6.	आन्ध्रा प्रदेश के तमाम अजला सिवाए चित्तूर जिला और तिलंगाना स्टेट के तमाम अजला	हैदराबाद	हैदराबाद

नंबर शुमार	सूबा/यूनियन टेरीट्री/जिला के रहने वाले	मरकजे रवानगी (बुनयादी)	मरकजे रवानगी (इख्तयारी)
7.	मगरबी बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, झारखंड और बिहार	कोलकाता	कोलकाता
8.	उत्तर प्रदेश (बस्ती अजला यानी अम्बेडकर नगर, औरैया, बदायूँ, बाँदा, बहराइच, बलरामपुर, बाराबन्की, बरेली, बस्ती, सी.एस.एम. नगर (अमेठी), ऐटा, चित्रकूट, इटावा, अयोध्या (फैजाबाद), फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोन्डा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झाँसी, कन्नौज, कानपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, पीलीभीत, प्रतापगढ़, राय बरेली, रामाबाई नगर, कानपूर (देहात), संत कबीर नगर, शाहजहाँ पुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सुल्तान पुर और उन्नाव)। उत्तर प्रदेश (मशरिफी अजला यानी प्रयागराज (इलाहाबाद), आजमगढ़, बलिया, देवरिया, चन्दौली, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, मऊ, महाराज गंज, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र और वाराणसी)	लखनऊ	लखनऊ
9.	महाराष्ट्र के तमाम अजला, मध्य प्रदेश के तमाम अजला, छत्तीसगढ़, दमन दीव, दादरा एवं नागर हवेली और गोवा।	मुंबई	मुंबई
10.	जम्मू व कश्मीर, यूनियन टेरीट्री और लेह लद्दाख और कारगिल यूनियन टेरीट्री।	श्रीनगर	नई दिल्ली

मिसाल : श्रीनगर ज़िले के आजमीने हज श्रीनगर या दिल्ली में से किसी एक इम्बार्केशन प्वाइन्ट का इन्तेखाब करेंगे, अगर वह श्रीनगर का इन्तेखाब करते हैं तो उन्हें हवाई जहाज़ के किराये की रक़म दिल्ली के ब निस्वत जायद रकम अदा करनी होगी। इम्बार्केशन प्वाइन्ट का चुनाव अंतिम होगा और इसे तब्दील नहीं किया जाएगा क्योंकि इसी बिना पर टेन्डर के काम को अन्जाम में दिया जाएगा।

13. परवाज से कब्बल टीके और सेहत से मुताल्लिक ज़रूरियात

13.1 वजारते सेहत ममलकत सऊदी अरबिया हज-2022 सेहत से मुतालिक, प्रोटोकाल जिसमें उम्र की पाबन्दी भी बैरून मुल्क से आने वाले हुज्जाजे कराम के लिए शामिल है, को हतमी शक्ल देगी और रेहनेमा खुतूत जारी करेगी। कोरोना के चलते बैरून मुल्क परवाज करने वाले मुसाफिरों के लिए सेहत से मुतालिक जवाबित इन्तेहाई सख्त कर दिये गये हैं। सेहत से मुतालिक जवाबित आने वाले दिनों की तफसील जारी की जायेगी और हज-2022 का इनेकाद मुकम्मल तौर पर ममलकते सऊदी अरबिया के जरिये जारीकर्दा जवाबित व कवायद के तहत ही होगा।

13.2 आरजी तौर पर मुंतखिब आजमीने हज को सेहत और तन्दुरूस्ती के सर्टिफिकेट का खाका हुज्जाजे कराम को जल्द ही फराहम किया जायेगा। सेहत आमा और बैनुलएक्वामी हवाई सफर से मुतालिक प्रोटोकाल की रू से मौजूदा रायज जवाबित पर सख्ती से अमल करना होगा। आजमीने हज को हुकूमते हिंद और ममलकते सऊदी अरबिया के जरिये जारीकर्दा फन्त। छज्छत् से मुतालिक जवाबित पर भी मुकम्मल तौर पर अमल करना होगा।

13.3 फिल वक्त हिन्दुस्तानी आजमीने हज को 135 ACYM का टीका दिया जाता है। तमाम मुन्तखब आजमीने हज के पास टीके लिये जाने की सनद (Certificate of Inoculation) का होना निहायत ही जरूरी है।

13.4 तमाम मुन्तखब शुदा आजमीने हज के लिए लाजिम है कि दिमागी बुखार के टीके लेकर इससे मुतालिक सर्टिफिकेट हो, अपने साथ जरूर रखें और इस मेडिकल सर्टिफिकेट का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफीसर से तश्दीक कराना जरूरी है। नामुकम्मल और गैर तश्दीक शुदा सर्टिफिकेट काबिले कबूल नहीं होंगे। इस ताल्लुक से हज कमेटी ऑफ इंडिया हर साल हज हाउस मुम्बई में मेडिकल जाँच और उसके बाद दिमागी बुखार के टीके लगवाने के लिए जरूरी एक्दमात करती है और आजमीने हज को सर्टिफिकेट जारी करती है। इसी तरह पूरे मुल्क में रियासत/यूनियन टेरीट्री हज कमटियों और जिला इन्तेजामिया भी अपने मुतालका रियासत के आजमीने हज के लिए दिमागी बुखार के टीके लगवाने के जरूरी एक्दामात करते हैं।

13.5 कोरोना की वजह सऊदी वजारते सेहत आने वाले वक्त में नये रहनुमा खुतूत जारी कर सकती है जिसकी रू से इजाफी टीके वगैरह भी जरूरी होंगे।

13.6 बीजा हासिल करने के जरूरी है कि आजमीने हज के टीका लिये होने का सर्टिफिकेट पासपोर्ट के साथ रायल कॉन्सलेट ऑफ सऊदी अरबिया में जमा किया जाये। ऐसा न होने पर हज बीजा नहीं लगेगा।

13.7 आजमीने हज को चाहिए कि अपना टीको वाला कार्ड (Vaccination Card) पूरी तरह महफूज रखें और जिम्मेदारान के जरिये जिद्दा/मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर पूँछे जाने पर बताने के लिए तैयार रखें। बिना (Vaccination Card) हुज्जाजे कराम को सऊदी अरबिया में दाखिला ममनूअ करार दिया जा सकता है।

14. तरबियत व वाकफियत (Training and Orientation)

14.1 आरजी तौर पर मुंतखिब हर हाजी को कम अज कम तीन (3) मर्तबा तरबियती कैम्प में हाजिर होना और वहाँ दी जाने वाली हिदायात पर अमल पैरा होना लाज़िमी है। सेहत और तरबियत से मुतालिक तफसीली मालुमात हासिल करें और ट्रेनिंग, हेल्थ और वैक्सीनेशन कार्ड में दर्ज करा लें।

14.2 हुज्जाज-ए-कराम को चाहिए कि सऊदी अरबिया में दौराने सफर दरपेश आने वाले मसाइल और उनके इज़ाले के लिए जारीकर्दा इमर्जेन्सी टेलीफोन नंबर, हज की रसूमात, इबादात व रियाजात, खुसूसी तौर पर सेहत, सफाई और अख्लाक से मुतालिक सऊदी अरबिया में मिलने वाली सहूलियात खुसूसी तौर पर मशायर में आमदोरफ्त से मुतालिक तमाम जानकारियों से अपने आपको मुज़य्यन कर लें ताकि हज के इस मुकद्दस सफर में दरपेश सउबतों से अपने आपको महफूज रख सकें।

14.3 कोरोना वायरस की आलमी वबा के पेशेनजर आजमीन अपने इस मुकद्दस सफर-ए-हज में हिफाज़ती इक्दामात, हिफज़ान-ए-सेहत, समाजी दूरी से मुतालिक उसूल व ज़वाबित और मुबाहात व ममनुआत वगैरह के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करें।

14.4 रियासती हज कमेटी की मोआविनत से हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिये तरबियत याफ्ता अफराद ज़त्पदमतद्ध के ज़रिए आजमीन-ए-हज को तरबियत दी जाएगी।

14.5 हज कमेटी ऑफ इंडिया हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) से मुतालिक तरबियत के मराहिल को हतमी शकल देकर तमाम मुतालिका लोगों को उसकी जानकारी देगी।

15. सामान (Baggage)

कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से आयद पाबन्दियों की बुनियाद पर तमाम आलम में सामान सफर की पाबन्दी भी आयद कर दी गई है। चूँकि हज अदायगी जून-जुलाई महीने में होने वाली है। लेहाजा फिल वक्त सफरे हज में की जाने वाली पाबन्दियों के बारे में कयास करना कब्ल अजवक्त होगा (पेशनगोई)।

15.2 ताहम सामान के साइज और वजन में कमी के बारे में इत्तला दी जा चुकी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के तमाम मुन्तखिब आजमीने हज को 20 किलोग्राम वज़न तक के लिए (2) दो बैग ख्लम्बाई +चौड़ाई +ऊँचाई =75 +55 +28 सेन्टीमीटर =158 सेन्टीमीटर या 29.5 +29.70 +11 इन्चेज़ = 62.20 इन्चेज़ ज़्यादा से ज़्यादा कुल तूल व अर्ज और सात किलोग्राम तक सामान के लिए मौजू एक केबिन बैग, ख्लम्बाई +चौड़ाई +ऊँचाई = 55 +40 +23 सेन्टीमीटर =118 सेन्टीमीटर या 21.75 +15.75 +9 इन्चेज़ = 46.5 इन्चेज़ ज़्यादा से ज़्यादा कुल तूल व अर्ज ले जाने की इजाजत होगी। हुज्जाजे कराम को सिर्फ मयारी साइज के बैगेज (सामान) ही ले जाने की इजाजत होगी, किसी भी सूरत में गैर मयारी बैग ले जाने की इजाजत नहीं होगी।

15.3 हुज्जाजे कराम सामान की आसानी से पहचान करने के लिए अपने बैगेज पर जली हुफों में मोटे मार्कर पेन से कवर, नाम, पता, फ्लाइट नम्बर और इम्बार्केशन प्वाइन्ट वगैरह का इन्द्राज करें। इन अलामात के बगैर गुमशुदा सामान की तलाश मुश्किल होगी।

15.4 हुज्जाजे कराम हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हज कैम्प में दीगर दस्तावेजात के साथ दिये जाने वाले बैगेज स्टीकर्स अपने सामाने सफर पर चस्पा करें ताकि उनका सामान उनकी जाँचे रिहाईश तक बाआसानी पहुँचाया जा सके।

16. ममनुआत व दिगर तेहदिदात

16.1 ममनुअ व दीगर पाबन्दी वाली अशिया व अदवियात ले जाना: खशखश वायग्रा (Viagara) गोली, जिन्सी तेल या क्रीम, मशनवी कपूर, सिस्टोन, खमीरा, गुटखा, खैनी, गुल, पिपरमेन्ट या इस तरह की कोई भी नशीली अशिया किसी भी शकल में ले जाने की सख्त ममानियत है, ऐसे सामान ले जाने वाले आजिम का सफरे हज मन्सूख कर दिया जायेगा। अलावा अर्जी ममनुअ अशिया ले जाने की पादाश में सख्त तरीन जर्माना भी आयद होगा। और ऐसे अश्खास को सऊदी अरबिया से फौरी तौर पर हिन्दुस्तान वापस भेज दिया जायेगा और मुतालका एजेन्सियों के जरिये ऐसे आजिमे हज के खिलाफ जरूरी कार्यवाही भी की जायेगी।

16.2 किसी भी किस्म की आतिशगीर अशिया जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, और स्टोव वाली अशिया किसी भी शकल में अपने साथ न ले जायें। अगर किसी आजिम को ममनुआ अशिया के साथ पाया गया तो उसे सऊदी कवानीन के तहत सजा दी जायेगी।

16.3 ममलकते सऊदी अरबिया में आने के वक्त अपने साथ किसी भी किस्म का सियासी लिट्रेचर, फहश तसावीर या इस तरह की कोई भी जिन्सी सामान लाने पर पाबन्दी है। सऊदी हुकूमत ने मजीद आगाह किया कि ऐसे अश्खास को जो इन हिदायात के खिलाफवर्जी करेंगे, सख्ततरीन सजा दी जायेगी।

16.4 ममलकते सऊदी अरबिया ने गिजाई अशिया, पकी हुई या कच्ची हालात में लाने पर पाबन्दी आयद कर दी है। लेहाजा आजमीने हज को तेल, घी, अचार, चटनी, मछली, मिठाईयां, तरकारियां, फल या इन जैसी दूसरी अशिया वगैरह अपने सामान के सामान के साथ या किसी दूसरे तरीके से सऊदी अरबिया पहुँचाने की इजाजत न होगी। जिद्दा/मदीना या हिन्दुस्तानी पर कस्टम हुक्काम ऐसी अशिया जव्त कर लेंगे और आजमीने हज को इसके नतीजे में तकालीफ का सामना होगा। लेहाजा आजमीने हज को इनके मुफाद के पेशेनजर मशवरा दिया जाता है कि हज के लिए खाना होते वक्त खाने-पीने की अशिया लेकर न जायें।

16.5 ममलकते सऊदी अरबिया में कसीर तादाद में खरीद व फरोख्त किए जाने वाले साज़ व सामान पर भी पाबंदी आयद है। कोई भी र्मद/खातून आजिम हज अगर इस बिना पर अपनी परवाज़ से मेहरूम रहे जाता है तो इस के लिये वह खुद जिम्मेदार होगा/होगी और ऐसे आजिम के सफर के इखराजात भी जव्त कर लिये जाएंगे।

16.6 हज कमेटी ऑफ इंडिया से हाजियों के भेस में जाने वाले गदागरों(फकीर/भिखारी) पर सख्त पाबंदी है। इन के खिलाफ मौजूदा कवानीन के तहत सख्त कार्यवाही होगी। साथ ही सफरे हज को हर हालात में मन्सूख कर दिया जाएगा और उसको हिरासत में ले लिया जाएगा और जमा की गई रकम जव्त कर ली जाएगी।

इन्तेबाह :

1. आजमीने हज कवायद व जवाबित की पूरी तर पाबन्दी करते हुए सिर्फ हज कमेटी ऑफ इंडिया के दिये गये बैगेज ही सामाने सफर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे नाम, कवर नम्बर, मोबाइल नम्बर, बिलडिंग नम्बर, मोअल्लिम नम्बर का स्टीकर चस्पा न होने पर कोई भी बैगेज एयरलाइन कबूल नहीं करेगी और ये जिद्दा/मदीना हज टर्मिनल पर नामालूम पड़े रहेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ऐसे किसी भी नामालूम बैगेज को जिद्दा/मदीना एयरपोर्ट से हिन्दुस्तान लाने की जिम्मेदार नहीं होगी। आजमीने हज के उनके अपने मुफाद में ये है कि वे ऐसी किसी भी हरकत से गुरेज करें और एयरलाइन के जवाबित पर अमल करें। आजमीने हज से गुजारिस है कि बरायेकरम केबिन/हैन्ड बैगेज में सफर के दस्तावेजात, दवाइयां, चस्मा वगैरह जैसी जरूरी चीजें न रखें।
2. मुन्शियात और नशाआवर चीजों की सऊदी अरबिया में सख्त ममानियत है। इसकी वजह से खाती हाजी को जेल/मौत की सजा भी हो सकती है। हज कमेटी ऑफ इंडिया/कोन्सप्लेट जनरल ऑफ इन्डिया, जिद्दा इन मामलात में किसी भी तरह की इमदाद पहुँचाने में कासिर है।

17. वीजा, पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात सफर

वीजा, पासपोर्ट और सफर के दस्तावेजात हुज्जाजे कराम को इम्बार्केशन प्वाइन्ट पर परवाज से 48 घंटे कब्ल सौप दिये जायेंगे। ये दस्तावेजात आजिमे हज को इसके जानिब से मुन्तखिब कर्दा सरख्शा को ही दिये जायेंगे। हज कैम्प में तकसीम काउंटर (Distribution Counter) छोड़ने से कब्ल आजिमे हज तमाम दस्तावेजात की बखूबी जाँच करें। अगर किसी बाबत समझना हो तो रियासती हज कमेटी के जिम्मेदारान या इम्बार्केशन प्वाइन्ट पर मौजूद हज कमेटी ऑफ इंडिया के अमला से जानकारी हासिल करें। आजिमे हज e-visa की अच्छी तरह से जाँच करें। किसी भी तरह की गलती या कमी पाये जाने पर मुतालका आजिमे हज को सऊदी अरबिया से वापस खाना भी किया जा सकता है। एयरपोर्ट

पर दिये जाने वाले सिम कार्ड (Sim Card) को अच्छी तरह रखें और पूरी जिम्मेदारी के साथ सिम कार्ड पैकेट सम्भाल कर रखें। बिना सिम कार्ड जैकेट के सिम कार्ड ऐक्टिवेट नहीं होगा।

18. परवाज़ ;श्रमहीन

18.1 फ्लाइट शेड्यूल; हवाई परवाज़ का शेड्यूल एयरलाइन्स की सहूलत के मुताबिक तैयार किया जाता है और जिसके लिए DGCA और GACA की मन्जूरी लाजमी है।

18.2 आजमीने हज को अपने मुतय्यनकर्दा इम्बार्केशन प्वाइन्ट (हज हाउस/हज कैम्प में) परवाज़ से 48 घंटे कब्ल रिपोर्ट करके सफर के दस्तावेजात हासिल करना है जैसेकि पासपोर्ट, वीजा और दीगर चीजें जो हज कमेटी ऑफ इंडिया मुहय्या करती है। यहाँ आजमीने हज को RT-PCR टेस्ट के लिए कहा जा सकता है। टेस्ट की रिपोर्ट मन्फी आने पर ही आजिमे हज को परवाज़ की इजाजत दी जायेगी। मसबत रिपोर्ट आने पर आजिमे हज को सफरे हज की इजाजत नहीं दी जायेगी। अलबल्ला कवर में मौजूद दूसरे आजमीने हज चाहें तो इन्हें परवाज़ की इजाजत होगी, जिसका इन्हेसार ममलकते सऊदी अरबिया के कवायद व जवाबत पर होगा।

18.3. हज कमेटी ऑफ इंडिया के फ्लाइट शेड्यूल को दो मरहलों में तकसीम किया गया है, पहले मरहले में आजमीने हज मदीना मुनव्वरा के लिए परवाज़ करेंगे। इन आजमीने हज को हिन्दुस्तान के एयरपोर्ट पर एहराम बांधने की जरूरत नहीं है, दूसरे मरहले में आजमीने हज एयरपोर्ट पर एहराम बांध कर हवाई जहाज से जिद्दा खाना होंगे और मक्का मुर्करमा पहुंच कर उमरा अदा करेंगे। ताहम इस जिमन में जरूरी हिदायात हज-2022 के दौरान जिद्दा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद क्वारन्टाइन से मुतालिक तफसीली रहनुमा खुतूत के हुसूल के बाद जारी की जायेगी।

- i) फ्लाइट एलाटमेन्ट एयरलाइन्स के जरिये जारीकर्दा रहनुमा खुतूत और हिदायात के मुताबिक होगा। रिहार्डिश की दस्तयाबी की इत्तेलाअ कोन्सल जनरल ऑफ इन्डिया, जिद्दा करेगी जोकि उस हाल के सूरेते हाल के मुताबिक तब्दील भी हो सकती है।
- ii) मुर्कररा परवाज़ की इत्तेलाअ आजमीने हज को एस.एम.एस, व्हाट्स ऐप, आवाज में रिकार्ड किया गया मैसेज और टेलीफोन काल के जरिये की जायेगी। ये मालूमात हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेब साइट www.hajcommittee.gov.in पर भी दस्तयाब होगी। आजमीने हज को मुतला किया जाता है कि वे अपनी मुतय्यना परवाज़ से ही सफर करें, किसी भी सूरेत में मुर्कररा परवाज़ की तारीख में तब्दीली नहीं की जायेगी। ताहम हुज्जाजे कराम तारीखे परवाज़, एक से ज़ायद कवर को इकट्ठा करने, एक साथ रिहार्डिश वगैरह से मुतालिक दरख्वास्त हज कमेटी ऑफ इन्डिया के दफ्तर में 15 अप्रैल, 2022 तक जमा करा सकते हैं।
- iii) हज कमेटी ऑफ इंडिया किसी भी सीट या परवाज़ को हालात के मद्देनजर मन्सूख या तब्दील कर सकती है। तारीखे खानगी मुज़व्वजा है और हवाई जहाज में सीट कन्फर्मेशन हज कमेटी ऑफ इंडिया ऑफिस या मरकजे खानगी के हज कैम्प ऑफिस में रिपोर्ट करने के बाद सीट दस्तयाब होने की सूरेत में ममलकते सऊदी अरबिया के जरिये जारी किये जाने वाले जवाबित के मुताबिक ही की जायेगी।

- iv) आजमीने हज और उनके रिश्तेदारों से दरखास्त है कि वे हज कमेटी ऑफ इंडिया, रियासती/यूनियन टैरीट्रीज हज कमेटियों के अहलकारों से अच्छा बर्ताव करें। और अपना भरपूर ताऊन करें। आजमीने हज या उनके किसी रिश्तेदार के जरिये हज कैम्प ऑफिस पर तैनात हज कमेटी ऑफ इंडिया/रियासती हज कमेटी के अहलकारों से खराब बर्ताव करने से उनके खिलाफ कानूनी चाराजोर्ड की जायेगी और सफरे हज रद्द भी हो सकता है।
- v) मुकर्ररा परवाज के मोअख्खर होने या मन्सूख होने की सूरत में जाब्ता के मुताबिक खाना/नाश्ता/दीगी सहूलतें हवाई कम्पनियां कानून और जवाबतों के मुताबिक फराहम करती हैं।
- vi) आजमीने कराम जिनकी परवाजें कन्फर्म हो गई हों मगर वह अपनी मुकर्ररा परवाज के लिये मरकजे रवानगी के वक्त पर रिपोर्ट न कर सके हों, उन्हें बाद की परवाजों में जाने की इजाजत नहीं दी जायेगी सिवाय नागुजीर वजूहात की बुनियाद पर। वह भी उस वक्त जबकि जगह दस्तयाब हो और एक तरफा जायद किराया अदा करने के बाद इजाजत दी जायेगी।
- vii) चार्टर्ड टिकट नाकाबिले ट्रान्सफर है आजमीने कराम को दो तरफा आमदोरफ्त की मुकर्ररा तारीखों की टिकट मखसूस परवाजों के लिए जारी किये जाते हैं। लेहाजा वापसी के सफर में किसी तरह की तब्दीली, ट्रान्सफर या सीट की मन्सूखी की इजाजत नहीं होगी।
- viii) बुकिंग तमाम रकूम की वसूलियाबी के बाद होगी।
- ix) परवाजों की मुतय्यना तारीख में तब्दीली सिर्फ आजमीने हज या साथी हाजी की मौत या शदीद अलालत या हादसे की बिना पर ही काबिले कबूल होगी। और दूसरी परवाज में जगह दस्तयाब होने पर ही सीट कन्फर्म की जायेगी।
- x) जरूरत पड़ने पर परवाजों की तारीख/वक्त की तब्दीली या सफर को मुलतवी करने के तमाम इख्तियारात हज कमेटी ऑफ इंडिया ने महफूज रखें हैं।
- xi) आजमीने हज मुतालका एयरपोर्ट पर अपने वक्ते रवानगी से 6 घंटे कब्ल रिपोर्ट करें।
- xii) अगर हवाई जहाज की बुकिंग करने के बाद आजिम की परवाज छूट जाये तो रूपये: 25,000/- फी हाजी कोर बैकिंग के जरिये हज कमेटी के एकाउंट में जमा कराने पर अगली परवाजों में जगह दी जायेगी।
- xiii) हज हाउस में रिहाईश सिर्फ हाजियों के लिए दस्तयाब होगी, इसके अलावा एक कवर के किसी एक करीबी रिश्तेदार को ही रिहाईश दी जायेगी, बाकी दूसरे अफराद को अपनी रिहाईश का इन्तेजाम खुद करना होगा। हुज्जाजे कराम हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in लॉग- इन करके या गूगल प्ले स्टोर पर "हज कमेटी ऑफ इंडिया" नाम से मौजूद हज ऐप के जरिये फ्लाइट बुकिंग, यहाँ तक कि परवाज की तस्दीक भी कर सकते हैं।
- xiv) मीकात से गुजरते वक्त आजमीने कराम को एनाउन्समेन्ट के जरिये मुतला कर दिया जायेगा ताकि वे नियत कर सकें।

18.4 परवाज़ के दौरान

18.4.1 बोर्डिंग कार्ड पर सीट नम्बर दर्ज होता है। आजमीने हज अपनी नम्बर वाली सीट पर ही तशरीफ फरमाँ हों और सीट बदलने के लिए कोशां न हों।

18.4.2 फ्लाइट में क्रिव (Crew) दौराने सफर हिफाजती तदाबीर के बारे में मुसाफिरोँ को जानकारी फराहम करते हैं। तमाम हुज्जाजे कराम इस जानकारी को अच्छी तरह सुनें समझें और इस पर अमल करें। सीट बेल्ट पहन रखें, दरम्यानी रास्ते में नमाज पढ़ने से गुरेज करें, आजमीने हज अपनी नसिस्तों पर बैठकर नमाज की अदायगी कर सकते हैं। हुज्जाजे कराम से इस्तेदा है कि वजू करते वक्त जायद पानी बहाने से बचें और एक ही जगह जमा न हों, भीड़ न लगायें।

18.4.3 आजमीने हज को हवाई सफर में मीकात की आमद की इत्तेला दी जायेगी ताकि वे नियत कर सकें।

18.5 जिद्दा/मदीना हवाई अड्डे पर

18.5.1 तमाम आजमीन जिद्दा/मदीना हवाई अड्डा पहुँचने पर अपने सफरी कागजात (पासपोर्ट, वीजा, वैक्सीनेशन कार्ड) जाँच के लिए तैयार रखें। इमीग्रेशन अफसरान बायोमैट्रिक शिनाख्त करने के बाद सऊदी अरबिया में दाखला के लिए पासपोर्ट की तौसीक करेंगे। आजमीन को मोअल्लिम के जरिये फराहम कर्दा बसों में मक्का/मदीना पहुँचाया जायेगा। मोअल्लिम के अमले के जरिये आजमीन का पासपोर्ट ले लिया जायेगा और इन्हें ब्रेसलेट दिया जायेगा। आजमीन हर वक्त इस ब्रेसलेट को पहने रहें। आजमीन को उनकी रिहाईशगाहों तक पहुँचाया जायेगा।

18.5.2 सऊदी अरबिया पहुँचने पर आजमीने कराम को सऊदी हुक्काम के फेसले के मुताबिक क्वारन्टाइन वक्त (Quarantine Time) मुकम्मल करना होगा। इन्हें सऊदी हुक्काम और हिन्दुस्तानी हज मिशन के ओहदेदारों की तरफ से मोसूल हिदायात पर सख्ती से अमल करना होगा।

18.5.3 आजमीने कराम अपने मोबाइल सिम कार्ड को जिद्दा हवाई अड्डे पर मुतालका मोबाइल कम्पनी के स्टोर में चालू (Activate) करा सकते हैं। अगर वे हवाई अड्डे पर अपने सिम कार्ड को चालू (Activate) करने से कोसिर हैं तो अपनी रिहाइशों के करीब स्टोर में जाकर चालू (Activate) करा सकते हैं।

18.5.4 हिन्दुस्तानी हज मिशन आजमीने कराम के लिए हवाई अड्डे से आमदोरफ्त का इन्तेजाम करता है। किसी भी तरह की दुश्वारी होने पर आजमीने कराम हवाई अड्डे के बिल्कुल बाहर हिन्दुस्तानी हज मिशन ऑफिस से राब्ता कर सकते हैं।

19. ममलकते सऊदी अरबिया में कयाम की मुद्दत

19.1 सऊदी हज हुक्काम (वजारते हज व उम्रा) के जरिये कोरोना वायरस की वबा के मद्देनजर रखते हुए हज प्रोटोकाल के जवावित के तहत हुज्जाजे कराम के सऊदी अरबिया में कयाम की मुद्दत को कम कर दिया गया है। मुद्दते कयाम में किसी भी तरह की कमी ज्यादती को मन्जूर नहीं किया जायेगा। ये

क्यास है कि फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक सऊदी अरबिया में हुज्जाजे कराम के कयाम को कम करके 36 से 42 दिन किया जा सकता है।

19.2 मक्का मुकर्रमा में कोन्सलेट जनरल ऑफ इंडिया, जिद्दा के जरिये रिहाईश की इकाईयां पूरे मौसमे हज के लिए किराये पर ली जाती है ना के रोजाना के किराये के तहत, फिर कयाम की मुददत चाहे जितनी हो। इसलिए सभी आजमीने हज से रिहाईश के लिए बराबर रकम ली जाती है। इसलिए कयाम या रिहाईश की मुददत या किसी दिगर कमियों की बिना पर कोई भी हाजी रकम की वापसी (Refund) के मुतालबे का हकदार नहीं होगा।

19.3 हुज्जाज-ए-कराम को मुत्तला किया जाता है कि सऊदी अरबिया में कयाम के दौरान हिदायात सख्ती से अमल करें। चोरी, गबन, सामान बेचने, गैर कानूनी तौर पर ममनूअ इलाकों में अमदोरफत, मकामी पुलिस और सिवल डिफेंस वालंटियरों से बिला वजह हुज्जत खतावार हाजी को मुशकिल में डाल सकती है। ऐसे हाजी को जेल भी हो सकती है।

20. ममलकते सऊदी अरबिया में रिहाईष

20.1 कोरोना वबाई अमराज के पेशेनजर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा दोनों मुकामात पर हज-2022 के लिए आजमीन की रिहाईश के उसूलों में नये कवायदो व जवाबित का निफाज अमल में लाया जा सकता है और रिहायशी किराया भी कुछ हद तक महंगा होने के कवी इमकानात हैं क्योंकि वैट पहले के मुकाबले 5% से बढ़कर 15% हो गया है। सामान और की खिदमात की कीमतों में इजाफा हुवा है। गुजिस्ता सालों में हर हाजी को चार स्क्वायर मीटर की जगह फराहम की जाती थी। ताहम हज 2022 के लिये कोरोना वबाई अमराज सम मुताआल्लिक समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिये फी हाजी जगाह की जरू3त में इजाफे का इमकान है। ऐसी सूरत में हाजियों को रिहाईश के लिये फराहम कुर्दा इजाफी जगह की वजह से इजाफी रकम का बोझ उठाने के लिए तैयार रहना होगा।

क्वर पांच (5) बालिग + दो (2) अतफाल पर मुशतमिल होगा, मुमकिन है हक के एक कमरे में जगह नाकाफी होने के सूरत में एक ही कवर के हाजी को दो (2) अलग-अलग कमरों में ठहराया जाए। कोशिश यह होगी के दोनों कमरे आपस में जुडे हुवे हों।

21. मक्का मुकर्रमा में कयाम

21.1 ऐन मुमकिन है कि हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) के तमाम हिन्दुस्तानी आजमीन को एक ही जगह रिहाईशी जुमरा में (अज़ीज़िया या इसी तर्ज का) रिहाईश फराहम की जायेगी। आजमीने हज को चाहिए कि समाजी दूरी का ख्याल रखें, चेहरा ढाँक कर रखें, साफ-सफाई के जवाबित को अपनायें और कवर के खानदान के आजमीने हज को मुजिर बीमारी के इन्फेक्सन में मुब्तला होने से बचायें। जहाँ पकवान की इजाजत नहीं है वहाँ खाना बनाने से गुरेज करें। आजमीने हज बिला जरूरत भीड़ इकट्ठा न होने दें न ही भीड़ का हिस्सा बनें और गैर जरूरी सफर करने से परहेज करें।

21.2 अगर अज़ीज़िया जुमरे में रिहाईश फराहम की जाती है तो हरम शरीफ आने-जाने के लिए बसों का इन्तेजाम किया जायेगा। तवक्को है कि इन बसों में सफर भी समाजी फासले के उसूलों के ताबे होगा। ज्यादा भीड़ और हुजूम करने की सख्ती से ममानियत है।

21.3 हर आजिमे हज को हज कमेटी ऑफ इंडिया की निगरानी में इम्बार्केशन प्वाइन्ट या रियासती हज कमेटी के जरिये (2) दो अदद् बेड शीट, (2) दो अदद् तकिये के कवर और (1) एक अदद् तिरंगा निशान

वाली (हिंदुस्तानी) छतरी फराहम की जायेगी जिसे वह मीना, अराफात, मुज्दलफा वगैरह मकामात पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

22. मदीना मुनव्वरा में कयाम

22.1 इस बात का कवी इमकान है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के चलते हज-2022 के दौरान मदीना मुनव्वरा में कयाम की मिआद कम की जा सकती है। जिसका मकामी सऊदी हुक्काम बराये हज के जरिये रहनुमा खुतूत में इजहार किये जाने की तवक्का है। मस्जिदे नबवी शरीफ में लाजमी तौर पर चालिस नमाज अदा करने की पुरानी रिवायत इस मरतबा मौजूदा हालात के पेशेनजर मुमकिन नहीं होगी। हुज्जाजे कराम को मकामी हुक्काम के जरिये जारी रहनुमा खुतूत पर सख्ती से अमल पैरा होना होगा और कयाम की मिआद में कमी व बेशी की दरख्वास्तों से परहेज करना होगा।

22.2 हज कमेटी ऑफ इंडिया के तमाम आजमीन हज को मरकजिया इलाका (फ्रस्ट रिग रोड के हुदूद में) के अन्दर रिहाईश मुहय्या कराने की अजहद कोशिश की जायेगी। ताहम मुमकिन है कि चन्द एक हुज्जाजे कराम को बैरून मरकजिया इलाके में रिहाईश फराहम की जाये और किराये की बकिया रकम वापस की जाये।

22.3 मदीना मुनव्वरा में खाना पकाने की इजाजत नहीं है। जुज्जाजे कराम को जाती तौर पर होटल/रेस्टोरेन्ट में अपने खाने-पीने का इन्तेजाम करना होगा। कोरोना वायरस की आलमी वबा के चलते हुज्जाजे कराम भीड़ के अवकात में या पहले से जमा भीड़ में जाने से गुरेज करें।

23. रूबात में रिहाईशी सहूलत

हर साल, रूबात में रिहाईश की सहूलियात मुतालिका रूबात अथॉरिटी चन्द मुन्तखिब शुदा हुज्जाजे कराम को मुहय्या की जाती है। जिनकी "तशरीह" और सनदयाफ्ता मुतालिका रूबात को हज 2022 के लिए वजारत हज व उम्रा की जानिब से सख्त पाबन्दियां लगाई जा सकती हैं और हुज्जाजे कराम से समाजी फासले को मलहूज रखने की तनबीह की जा सकती है। लेहाजा हज 2022 में रिहाईशी पैमाईश को बड़े तनाजुर में देखा जाता है। नतीजतन हज 2022 के दौरान किसी तरह की रूबात सहूलत हुज्जाजे कराम को मुहय्या नहीं की जायेगी, लेहाजा आजमीने कराम हज 2022 में दरख्वास्त फार्म भरने से पहले इस बात को अच्छी तरह जहेन नशीन कर लें।

24. असल हज का दौरानियह :

24.1 हज का असल वक्त 8 जिहहिज्जा (7 जिलहिज्जा की मगरिब की नमाज से) से शुरू होता है। मोअल्लिम की बसें मक्का से मीना (जो कि हरम शरीफ से 7 से 8 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है) ले जाती हैं। मोअल्लिमीन इस शेड्यूल पर सख्ती से अमल करते हैं क्योंकि तमात आजमीने कराम को एक मखसूस वक्त में ही मीना पहुँचाना होता है। लेहाजा आजमीने कराम से गुजारिश है कि वक्त की पाबन्दी से अमल करें और हत्तुलवसय मोअल्लिमीन के स्टाफ से ताऊन करें।

24.2 मीना में हुज्जाजे कराम को खेमों में ठहराया जायेगा जो कि मोअल्लिमीन मुहय्या करायेंगे। हुज्जाजे कराम समाजी फासला बरकरार रखें, सेहते आम्मा की उसूलों पर अमल करें और मकामी हज अर्थोरिटीज से जारी शुदा सेहते आम्मा की हिदायत पर अमल करें।

25. सऊदी अरबिया में हिंदुस्तानी हुकूमत/हिंदुस्तानी हज मिशन का किरदार :

हुकूमत-ए-हिंद ने ममलकत-ए-सऊदी अरबिया में हिंदुस्तानी हज मिशन (हिंदुस्तानी हज दफातिर) कायम किये हैं। सफर-ए-हज के दौरान सऊदी अरब में हिंदुस्तान के सफीर की मजमूई निगरानी में कोन्सल जनरल ऑफ इंडिया (जेद्दा) हिंदुस्तानी आजमीन-ए-हज के तमाम ऊमूर और उनकी फलाह व बहबूद की देखभाल की जिम्मेदारी अन्जाम देता है।

25.1 तिब्बी सहूलियात :

हज-2019 के दौरान कोन्सलेट जनरल ऑफ इंडिया (जिद्दा) ने मक्का मुकर्रमा 16 डिस्पेन्सरियां, एक 40 बिस्तरों पर मुस्तमिल अस्पताल, अजीजिया इलाके में 30 बिस्तरों पर मुस्तमिल अस्पताल और NCNTZ जुमरा (हरम शरीफ से करीब) में एक 10 बिस्तरों पर मुस्तमिल अस्पताल का कयाम किया था। आजमीने हज की सहूलत के लिए मदीना मुनव्वरा में 3 डिस्पेन्सरियां और एक 15 बिस्तरों पर मुस्तमिल मरकजी डिस्पेन्सरी का कयाम किया गया था। एयरपोर्ट पर आजमीने हज को तिब्बी सहूलियात मुहय्या कराने के लिए जिद्दा और मदीना हज टर्मिनल पर भी एक डिस्पेन्सरी कायम की गई थी। हज 2022 के दौरान भी इसी तरह के इन्तेजाम किये जाने की उम्मीद है। ताहम आजमीने हज को हज 2022 के दौरान दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात से मुतालिक आखरी फैसला ममलकते सऊदी अरबिया की जानिब से हतमी तौर पर जारी किये जाने वाले क्वायद व ज़वाबित पर मुन्हसिर होगा।

25.2 ब्रांच दफातिर :

पिछले हज के दौरान क कोन्सल जनरल ऑफ इंडिया (जिद्दा) ने मक्का मुकर्रमा में एक मरकजी हज दफ्तर, 16 मरकजी दफातिर मआ डिस्पेंसरियों का कयाम अमल में लाया था। जबकि मदीना मुनव्वरा में एक मेन (Main) हज दफ्तर और 3 ब्रांच का कयाम किया था। ये ब्रांच दफातिर कोआरडीनेशन डेस्क, मदीना मोवमेन्ट डेस्क, बिल्डिंग वलफेयर डेस्क, जनरल वेलफेयर डेस्क ऐन्ड CRT डेस्क, गुमशुदा सामान डेस्क, खादिमुल-हुज्जाज और HGO डेस्क, रवानगी सामान सेल (Departure Baggage Cell) पर मुश्तमिल हैं। इसके अलावा सऊदी अरबिया में आजिमे हज को ज्यादा से ज्यादा आसानी और राहत फराहम करने के लिए एक कन्ट्रोल रूम, हरम टास्क फोर्स, अजीजिया में कम्प्यूटर सेल (IHPO), हेल्पलाइन डेस्क और अजीजिया ट्रान्सपोर्ट डेस्क भी कायम किया गया था। इसी तर्ज की सहूलियात हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) के दौरान भी फराहम की जायेगी। ताहम हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) के दौरान तिब्बी सहूलियात फराहम करने का पूरा दारोमदार ममलकते सऊदी अरबिया की जानिब से हतमी तौर पर जारी किये जाने वाले क्वायदो जवाबित पर मुन्हसिर होगा।

25.3 खादिमुल-हुज्जाज और हज खिदमतगुजार :

हज कमेटी ऑफ इंडिया ममलकते सऊदी अरबिया में सफरे हज के दौरान हिंदुस्तानी आजमीने हज की इमदादे बाहमी की गर्ज से 200:1 की निस्बत से खादिमुल-हुज्जाज को मुन्तख करके भेजती है। हर हवाई परवाज में 1-2 खादिमुल-हुज्जाज को और हिंदुस्तानी आजमीने हज की रिहाईशगाहों में भेजने की कोशिश की जाती है। आजमीने हज से इस्तेदा है कि वे मुतालका खादिमुल-हुज्जाज का मोबाइल

नम्बर अपने मोबाइल में महफूज कर लें, इस सहूलत का भरपूर इस्तेमाल करें। वक्त जरूरत या मुश्किल दर पेश आने पर उनसे सलाह व मशवरा करें और उनकी बताई गई बातों पर अमल करें। ताहम ये बात वाजह तौर पर बताई जाती है कि खादिमुल-हुज्जाज आजमीने हज की जाती काम-काज के लिए नहीं हैं।

कोन्सल जनरल ऑफ इंडिया (जिद्दा) के मातहत गैर सरकारी तन्जीमें/खिदमतगुजार और आरजी अमला सऊदी अरबिया में मुख्तलिफ मकामात पर आजमीने हज को दुश्वारी पेश होने पर, रसद इमदादे बाहमी और रहनुमाई फरमाते हैं। आजमीने हज से इस्तदआ है कि इन सहूलियात से भरपूर मुस्तफीज़ हों।

26. सऊदी अरबिया में मौत होजाने पर

आज़मीन-ए-हज की सऊदी अरब में हज के दौरान कुदरती/हादसाती मौत होने पर उसकी तजहीज़ व तकफीन सऊदी अरब के क़वानीन के मुताबिक वहीं पर कर दी जाती है। मौत की सनद (Death Certificate) कोन्सलेट जनरल ऑफ इंडिया, जिद्दा बराहेरास्त मरहूम के रिश्तेदार को मौसमे हज के इखिताम पर भेज देगा। हाजी की मौत होने पर करीबी रिश्तेदार/कानूनी हकदार की रजामंदी के बाद ही तजहीज़ व तकफीन की जाती है। आजमीन-ए-हज नुमायाँ तौर पर अपने करीबी रिश्तेदार/कानूनी हकदार का मोबाइल नंबर हज दरख्वास्त फॉर्म में दर्ज करे।

27. बीमा के दावा का तरीका

हाजी के रोड एक्सिडेंट में इन्तेकाल होने पर इसके इन्श्योरेन्स की अदाएगी हज कमेटी ऑफ इंडिया के तवस्सुत से इन्श्योरेन्स कंपनी करेगी। साथ ही हूकूमत-ए-सऊदी अरबिया भी रोड एक्सिडेंट में मरने वाले को कानूनी चाराजोई के बाद हर्जाना देती है (इसमें कुछ वक़्त लग सकता है)। हज कमेटी ऑफ इंडिया हुज्जाज-ए-कराम के लिए इन्श्योरेन्स हर्जाने की अदाएगी का नज़्म करती है। खुदानख्वास्ता नागुहानी मौत या माज़ूरी होने पर इन्श्योरेन्स की रक़म के दावे को हज कमेटी ऑफ इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी के तवस्सुत से तय करती है। इन्श्योरेन्स क्लेम के ज़वाबित में हालात के पेशेनजर काफी तब्दीली के इमकानात हैं जिसकी इत्तेला बाद में दी जाएगी।

28. वापसी की परववाज़ें

28.1 ममलकत-ए-सऊदी अरबिया से हिन्दुस्तान के लिए वापसी की परवाज़े यौम-ए-अरफा के बाद एक हफ्ते के अन्दर होती हैं। आजमीन-ए-कराम को वापसी का बोर्डिंग पास मरकज़-ए-रवानगी पर ही दे दिया जाता है इसलिए आजमीन-ए-कराम से गुजारिस है कि वे टिकट पर दर्ज अपनी वापसी की तारीख नोट कर लें। हुज्जाज-ए-कराम बोर्डिंग पास हिफाजत से रखें। हुज्जाज-ए-कराम को इज़ाफी बोर्डिंग पास के लिए एयरलाइन्स को इज़ाफी रक़म देने पड़ सकता है।

28.2 आजमीन-ए-कराम को हवाई सफर के जाने और लौटने के बोर्डिंग पास (सफर-ए-हज पर रवाना होने के वक़्त ही) दे दिये जाते हैं।

28.3 ऐसे हुज्जाज-ए-कराम जो सफर-ए-हज से जल्द वापस आना चाहें तो वे उसका इन्तेजाम खुद करें। ऐसी सूरत में कोई भी रक़म वापस नहीं की जाएगी।

28.4 सिटी चेक-इन (City Check-in) वापसी सफर के लिए एयरलाइन्स सिटी चेक-इन की खिदमात मुहय्या कराएंगे। आजमीन-ए-हज का सामान उनकी रिहाईशी बिल्डिंगों (मक्का मुकर्रमा/मदीना मुनव्वरा में) से वापसी की परवाज़ से 48 घंटे कब्ल जमा किया जाएगा। हुज्जाज-ए-कराम को मशवरा दिया जाता है कि वे ज़रूरी चीजें जैसे दवाईयां, चश्मा, एक दो जोड़े कपड़े और कुछ रकम अपने पास रखें ताकि परवाज़ की ताखीर की सूरत में परेशानी का सामना न करना पड़े।

28.5 एयरलाइन्स का अमला हुज्जाज-ए-कराम की जाए रिहाईश से तय शुदा वजन के मुताबिक तौल कर बैगे वसूल करता है। हुज्जाज-ए-कराम एयरलाइन्स के अमले के साथ बहस व मुबाहेसा न करें।

28.6 हुज्जाज-ए-कराम चेक-इन बैगेज में माए यानी तेल और ज़मज़म का पानी, नक़द रक़म, ज़ेवरात सोना जैसी ममनूअ अशिया न रखें। उन्हें हटाने के हिए बैगेज को खोला जा सकता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ऐसे मोआमलात में किसी भी तरह की चोरी/गुमशुदगी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी।

28.7 सफर-ए-हज से लौटने पर हुज्जाज-ए-कराम को हिन्दुस्तानी एयरपोर्टों पर फिर से RT-PCR टेस्ट से गुज़रना पड सकता है। मन्फ़ी नतीजा वाले हुज्जाज-ए-कराम को ही उनके घरों पर जाने की इजाज़त होगी। जबकि मसबत नतीजा अखज़ करने वाले हुज्जाज-ए-कराम को सात दिनों के अदारती Quarantine से गुज़रना होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया रियासती हज कमेटियों की मुआविनत से इस ज़िम्न में इन्तेजाम करेगी।

नोट :

हज कमेटी ऑफ इंडिया सफर-ए-हज के इन्तेज़ामात वजारत-ए-शहरी हवाबाजी के तवस्सुत से बहैसियत चार्टर (Charterer) करती है। लेहाज़ा किसी मुतालिका इन्तेजामिया की लापरवाही की वजह से किसी नुकसान की ज़िम्मेदारी हज कमेटी ऑफ इंडिया पर आयद नहीं होगी जब कोई नुकसान, जख़्म, हादसा या ताखीर मुतालिका इन्तेज़ामिया की लापरवाही से हो, ये बात जहेन नशीन करनी चाहिए कि किसी वजह से फ्लाइट मुलतवी या रद्द होने, परवाज़ों में नामुसाईद मौसमी हालात, हड़ताल, सियासी व समाजी इन्तिशार, जंग, आफत-ए-समावी या बला-ए-नागहानी की वजह से ताखीर व तब्दीली की सूरत मे किसी भी नुकसान या इज़ाफ़ी अखराजात की जिम्मेदारी हज कमेटी ऑफ इंडिया पर कतअन नहीं होगी। ऐसे तमाम नुकसानात व अखराजात हुज्जाज-ए-कराम खुद बर्दाश्त करेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई जहाज की सीटों के न भरने से परवाज़ों की मन्सूखी या रद्द करने का अख़्तियार रखती है।

29. आबे ज़मज़म

आबे जमजम की फराहमी से मुताआल्लिक हतमी फैसला ममलिकत सऊदी अरबिया करेगी।

30. वतन वापसी पर

हज के मुकद्दस सफर से सरजमीने हिन्द पर हवाई अड्डे से बाहर आने के वक़्त हुज्जाज-ए-कराम को चाहिए कि अपने सफर से मुतालिक दस्तावेज़ात जैसे कि पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह मुतालिका अमला के ज़रिए जाँच के लिए तय्यार रखें। इमीग्रेशन की कार्यवाही के बाद अपना चेक-इन बैगेज बेल्ट से एकजा करके कस्टम काउन्टर से गुज़रें। हुज्जाज-ए-कराम को मशवरा दिया जाता है कि तमात कानूनी एहकाम और

पाबंदियों का एहतरात करें और कोई भी कीमती सामान लगेज में न लायें। हज कमेटी ऑफ इंडिया/रियासती हज कमेटी का अमला/हज खिदमतगुज़ार एयरपोर्ट पर हुज्जाज-ए-कराम की इमदादा के लिए मौजूद रहते हैं। हज-2022 के हुज्जाज-ए-कराम की वापसी से मुतालिक रहनुमा खुतूत का दारोमदार हिन्दुस्तान और ममलकत-ए-सऊदी अरबिया के माबैन कोरोना वायरस की आलमी वबा के पेशोनज़र किये जाने वाले ज़वाबित (Protocol) पर मुन्हसिर होगा।

31. सामान खो जाने पर दावा करने का तरीका

आगाजे सफर के वक़्त हिन्दुस्तान (एयरपोर्ट) और वापसी के वक़्त सऊदी अरबिया (एयरपोर्ट) पर सामान (चेक-इन बैगेज) मुतालिका हवाई कम्पनियों को चेक-इन काउन्टर पर दें, ताकि लगेज टैग जारी करके आपके सामान पर लगाया जा सके। बैग टैग जरूर ब जरूर लीजिए। जहाज़ से उतरने पर अगर कोई सामान न मिले या नुक़सानदह हो तो मुन्दर्जाज़ैल अमल करें।

- i) आज़मीन-ए-कराम को मुतालिका एयरलाइन्स के नज़दीकी "गुमशुदा बैगेज काउन्टर" पर राब्ता करना चाहिए।
- ii) गुमशुदा सामान का लगेज टैग दिखाकर शिकायत दर्ज करायें।
- iii) मुतालिका एयरलाइन्स के पास गुमशुदा सामान की शिकायत दर्ज कराकर शिकायत की एक कापी (PIR) अपने पास महफूज रखें।
- iv) अगर आपका गुमशुदा सामान हज की आख़री परवाज़ की वापसी तक न मिल पाये तो अपने मुतालिका सफरी कागजात के साथ और गुमशुदा सामान की दर्ज की गई शिकायत की बिना पर मुतालिका हवाई कम्पनी से बराहेरास्त अपने सामान के हर्जाने/मआवजे का दावा दायर कर सकते हैं।
- v) गुमशुदा सामान के मआवजे का दावा करने की आख़री तारीख 25 सितंबर, 2022 होगी।

32. कानूनी हैसियत

सभी मुतालिका हज़रात को मुत्तला किया जाता है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया बगैर किसी मुनाफे के हुज्जाज-ए-कराम के लिए काम करती है। हुज्जाज-ए-कराम से जो मुतअय्यना रक़म वसूल की जाती है वह मुतालिका एजेन्सियों की जानिब से मुहय्या की जाने वाली सहूलियात के ऐवज़, बजुज़ इन्तेज़ामी अख़राजात बशमूल रियासती हज कमेटी का मुआवज़ा के इन एजेन्सियों को अदा की जाती है। इसलिए हज कमेटी ऑफ इंडिया सारिफीन तहफफुज़ ऐक्ट-2019 की ज़द में नहीं आती है। आज़मीन-ए-हज नोट फरमा लें कि हज कमेटी से सारिफीन तहफफुज़ ऐक्ट या किसी और क़ानून के तहत फ़राहम की गई ख़िदमात में कमी या किसी भूल की वजह से जो कि हज कमेटी के अख़्तियारात से बाहर हों, काई हर्जाना नहीं तलब कर सकते।

33. अदालती कार्यवाही

मोहकमा डाक की कोताही, खत के देर से पहुँचने, खत डाक में गायब हो जाने, तस्दीकी कार्ड या हज के जिम्न में किसी खत के गलत जगह पहुँचने के नताइज के सिलसिले में हज कमेटी ऑफ इंडिया,

हज 1443 (हि.) 2022 (सी.ई.) के लिए दिशानिर्देश

मुंबई किसी भी सूरत में जिम्मेदार नहीं होगी। कोई तनाजआ पैदा होने की सूरत में अदालती कार्यवाही का हक सिर्फ मुंबई उज़्मा की अदालतों को ही होगा। एक मरतबा फिर बारआवर कराया जाता है कि ये रहनुमाई खुतूत (बराये हज 1443 हिजरी बमुताबिक 2022) बिल्कुल आरजी हैं और सिर्फ हज दरख्वास्त फार्म हासिल करने की गरज से जारी किये जा रहे हैं।

याद रहे कि कोविड-19 आलमी वबा के पेशे नज़र हज 2022 की तमाम दरख्वास्तों की मन्जूरी का इन्हेसार ममलकत सऊदी अरबिया और हुकूमते हिन्द की जानिब से हातमी तौर पर जारी कवायद और जवाबित पर होगा।

दस्तखत

मकाम :- मुंबई
तारीख : 1 नवम्बर, 2022

चीफ ऐक्ज़ीक्यूटिव ऑफीसर
हज कमेटी ऑफ इंडिया